www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

जून, 2025 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- ऋषिकेष - कर्णप्रयाग सुरंग टी-8
- रघुजी भोसले
- लैराई देवी मंदिर
- ऑरेंज इकोनॉमी
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण

20 मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न

Gist of

THE HINDU | pib पत्र सूचना कार्यालय PRESS INFORMATION BUREAU भारत सरकार | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

INDEX

पर्यावरण एवं पारिस्थितकी

पेज 1 – 2

- रेड क्राउनेड रूफेड टर्टल
- मेघालय में नई गुफा-निवासी मछली प्रजाति की खोज

भूगोल और आपदा प्रबंधन

पेज 2 – 3

- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सुरंग टी-8
- सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस)
- भारत की तटरेखा अब 11,988 किलोमीटर लंबी

इतिहास

पेज 4

- रघुजी भोसले।

कला और संस्कृति

पेज 4 – 5

- लैराई देवी मंदिर
- सफा मस्जिद

राजव्यवस्था एंव शासन

पेज 5 – 9

- निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी)
- ECINET: ECI का वन-स्टॉप इलेक्टोरल टेक प्लेटफॉर्म
- राइट टू रिपेयर आंदोलन
- दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना
- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया संवैधानिक संदर्भ
- उच्च न्यायालयों में न्यायिक विविधता: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था

पेज 9 – 12

- ऑरेंज इकोनॉमी
- भारत में मुद्रास्फीति संकेतक: WPI और CPI
- भूखमरी की कगार पर ग़ाज़ा : WHO
- पंचायत स्तर पर 'माइक्रोपिक्चर' प्राप्त करना
- भारतीय मसाला बोर्ड और SPICED योजना
- प्रतिजैविक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पेज 12 – 14

- जीनोमइंडिया के प्रस्ताव कॉल में फेनोटाइप डेटा का विवरण नहीं
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नया दृष्टिकोण
- स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म
- इग्ला-एस

स्वास्थ्य एवं रोग

पेज 14 – 16

- GAVI (वैक्सीन एलायंस)
- निकट-सतह कतरनी परत (एनएसएसएल)
- वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी (GARDP)
- डाइ-2-एथिलहेक्सिल फथलेट (डीईएचपी)
- भारतीय कफ सिरप को लेकर सुरक्षा चिंताएँ

जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याएं

पेज 17

- वीरशैव-लिंगायत

योजना

पेज 17

- AIM4NatuRe पहल

विविध

पेज 18 – 21

- विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2024 में रुझान
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए)
- विशेष 301 रिपोर्ट
- शिक्षा-रोजगार असंतुलन: भारत का बढ़ता संकट
- भारत में वीरता पुरस्कार
- तमिलनाडु अंतरिक्ष क्षेत्र नीति

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न 22

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रेड क्राउनेड रूफेड टर्टल

खबरों में क्यों?

जैवविविधता संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, लुप्तप्राय लाल मुकुट वाला कछुआ (बटागुर कचुगा) तीन दशक की अनुपस्थिति के बाद गंगा नदी में विजयी वापसी कर चुका है।

रेड क्राउनेड रूफेड टर्टल के बारे में:

- लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ, या बंगाल छत वाला कछुआ, मीठे पानी के कछुए की एक प्रजाति है जो दक्षिण एशिया में स्थानिक है।
- वैज्ञानिक नाम: बटागुर कचुगा

टर्टल का वितरण :

- इसका मूल स्थान भारत, बांग्लादेश और नेपाल है।
- ऐतिहासिक रूप से, यह प्रजाति भारत और बांग्लादेश दोनों में गंगा नदी में व्यापक रूप से पाई जाती थी।
- यह ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी पाया जाता है।
- वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इस प्रजाति की पर्याप्त आबादी है ।

टर्टल की विशेषताएँ:

- यह एक मध्यम आकार का कछुआ है जिसकी लंबाई 56 सेमी तक हो सकती है और इसका वजन 25 किलोग्राम तक हो सकता है।
- अपनी मादा समकक्षों की तुलना में नर छोटे होते हैं तथा उनकी लंबाई उनकी आधी ही होती है।
- इनका सिर लाल-नारंगी रंग का होता है , मुकुट काला होता है तथा इनका ऊपरी कवच हरा-भूरा होता है, जिस पर पीले रंग के पैटर्न होते हैं।
- इनका प्लैस्ट्रान (निचला कवच) काले निशानों सहित पीला होता है।
- इनका सिर चौड़ा, जबड़े मजबूत और पैर जालीदार होते हैं।
- यह सर्वाहारी है और विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को खाता है।

संरक्षण की स्थिति:

- आईयूसीएन : गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I
- सीआईटीईएस : परिशिष्ट II

स्रोत: द हिंदू

वेम्बनाड झील

खबरों में क्यों?

अलप्पुषा जिला प्रशासन के नेतृत्व में वेम्बनाड झील पुनरुद्धार परियोजना, नमामि गंगे कार्यक्रम से प्रेरित है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केरल के मुख्यमंत्री को 188.25 करोड़ रुपये की व्यापक पंचवर्षीय योजना सौंपी गई है, जिसमें जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम) द्वारा चल रहे अध्ययनों के आधार पर संभावित संशोधन शामिल हैं ।
- पुनर्स्थापना के समन्वय के लिए कृषि, मत्स्य पालन, जल संसाधन, जैव विविधता, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आठ उपसमितियां गठित की गई हैं।
- पिछली शताब्दी में वेम्बनाड झील का क्षेत्रफल चिंताजनक रूप से कम हो गया है , 1917 और 1990 के बीच सतही क्षेत्रफल में 27% की कमी आई है , जिसका मुख्य कारण भूमि पुनर्ग्रहण , अवसादन और अतिक्रमण है ।
- हाल ही में चलाए गए सफाई अभियान में झील से 72 टन प्लास्टिक कचरा और बड़ी मात्रा में जलकुंभी हटाई गई है ।

वेम्बनाड झील के बारे में

- वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है , जो लगभग 5 किमी लंबी है।
- यह केरल के तीन जिलों : अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम में फैला हुआ है और लगभग 2,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ।
- झील को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है , जैसे वेम्बनाड कयाल , वेम्बनाड कोल , पुन्नमदा झील (कुट्टनाड में) और कोच्चि झील (कोच्चि में)।
- यह छह प्रमुख नदियों , विशेष रूप से मीनाचिल, अचनकोविल, पंबा और मणिमाला से पोषित होता है , तथा इसका पश्चिमी भाग अरब सागर में गिरता है।
- वेम्बनाड में पथिरमनल, पेरुम्बलम और पल्लीप्पुरम जैसे महत्वपूर्ण द्वीप शामिल हैं , जो इसे केरल के बैकवाटर पर्यटन सर्किट का एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं ।
- इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है , जो इसके पारिस्थितिकी और पर्यटन मूल्य को बढ़ाता है।
- प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस (वल्लम काली) हर साल अगस्त में झील के पुन्नमदा खंड में आयोजित की जाती है।

- वेम्बनाड झील वेम्बनाड-कोल वेटलैंड का हिस्सा है , जिसे इसके अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक महत्व के कारण 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था ।

स्रोत: द हिंदू

मेघालय में नई गुफा-निवासी मछली प्रजाति की खोज

संदर्भ:
जैव विविधता अनुसंधान में हालिया सफलता के तहत, वैज्ञानिकों ने मेघालय की क्रीम मोजिम गुफा में **Schistura dancilvai** नामक एक नई गुफा-निवासी मछली प्रजाति की खोज की है। इस limestone गुफा प्रणाली में मिली यह दुर्लभ प्रजाति भारत की अद्वितीय भूमिगत जैव विविधता को उजागर करती है और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और संरक्षण प्रश्न उठाती है।

समाचार के बारे में:

- **Schistura dancilvai** नामक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई।
- यह प्रजाति क्रीम मोजिम, एक चूना पत्थर की गुफा प्रणाली में पाई गई।
- यह मछली **नेमाचेलिडाए (लोच फिश)** परिवार से संबंधित है।
- इसे **ट्रोग्लोफाइल** के रूप में पहचाना गया है, यानी पूरी तरह से गुफा जीवन के अनुकूल नहीं।

विशेषताएँ:

- सतह से 60 मीटर नीचे, कम ऑक्सीजन और 18°C तापमान में पाई गई।
- अधिकांश गुफा प्रजातियों के विपरीत, इसमें **रंजकता (पिगमेंटेशन)** बनी रहती है।
- इसमें **कार्यशील दृष्टि** है, जो गुफा मछलियों में दुर्लभ है।
- शरीर का रंग हल्का पीला-हरा है, जिसमें दृश्यमान पिगमेंट्स हैं।
- यह **गुफा और सतही (एपिजियन) दोनों वातावरणों** में जीवित रह सकती है।
- यह **आंशिक गुफा अनुकूलन** प्रदर्शित करती है, जो लोच प्रजातियों में अनोखा है।

निष्कर्ष:
मेघालय की क्रीम मोजिम गुफा में **Schistura dancilvai** की खोज भारत के भूमिगत पारिस्थितिक तंत्र की छिपी हुई समृद्धि को दर्शाती है। यह नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे संरक्षण रणनीतियों में इन **नाजुक और कम ज्ञात आवासों** को शामिल करें, जिनकी पारिस्थितिक महत्ता अत्यधिक है।

भूगोल और आपदा प्रबंधन

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सुरंग टी-8

खबरों में क्यों?
सुरंग संख्या 8 (टी-8) 14.57 किलोमीटर लंबी होकर भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग बन जाएगी, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक पर वर्तमान सबसे लंबी टी-50 (12.77 किलोमीटर) को पीछे छोड़ देगी।

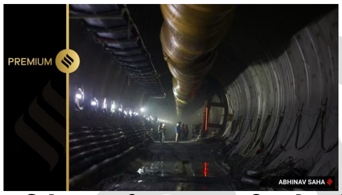

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सुरंग टी-8 के बारे में

- टी-8 एक जुड़वां सुरंग है जो उत्तराखंड राज्य में 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना के देवप्रयाग-जनसू खंड पर स्थित है ।
- यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है , जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है , तथा लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा निष्पादित की जा रही है ।
- 125 किलोमीटर लम्बी इस रेल लाइन का 83% से अधिक हिस्सा - लगभग 104 किलोमीटर - सुरंगों से बना है, जो इसे भारत की सबसे अधिक भूमिगत रेल परियोजनाओं में से एक बनाता है ।
- यह रेल लाइन ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ेगी , जिससे यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे रह जाएगा , तथा पांच जिलों : देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली के बीच सम्पर्क बेहतर हो जाएगा ।

इंजीनियरिंग और तकनीकी मुख्य विशेषताएं

- हिमालयी रेल परियोजनाओं में पहली बार टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) का इस्तेमाल टी-8 की 4 किलोमीटर खुदाई के लिए किया गया। 2200 टन की ये मशीनें जर्मनी से आयात की गईं , 17 शिपमेंट के ज़रिए ले जाई गईं और साइट पर ही असेंबल की गईं।
- टी-8 के लिए प्रयुक्त टीबीएम का व्यास 1 मीटर था, जो दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त 6 मीटर टीबीएम से बड़ा था ।
- सुरंग के शेष 4.11 किमी. हिस्से की खुदाई के लिए , विशेष रूप से असमान भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि (NATM) का उपयोग किया गया।
- सुरक्षा और परिशुद्धता के लिए तीन उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया:
    - भूवैज्ञानिक दोषों का पता लगाने के लिए सुरंग भूकंपीय पूर्वानुमान (टीएसपी) ।
    - बहुदिशात्मक बोरिंग क्षमता के लिए टॉर्क बॉक्स ।
    - सुरंग की परतों के पीछे के अंतरालों का पता लगाने और उन्हें भरने के लिए शून्य मापन ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस)

खबरों में क्यों?
भारत में लकड़ी की खेती और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऊतक-संवर्धित सागौन को उच्च उपज, तीव्र लाभ वाले समाधान के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इसकी उत्पादकता, आर्थिक व्यवहार्यता और पारिस्थितिक स्थिरता के बारे में बहस छिड़ गई है।

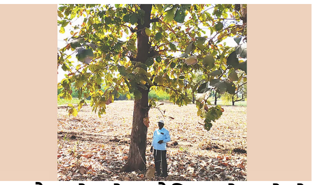

सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस) के बारे में

- सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस) को विश्व स्तर पर इसकी स्थायित्व, मजबूती और कीटों और पानी के प्रति प्रतिरोध के लिए महत्व दिया जाता है, जिससे इसे "लकड़ी का राजा" की उपाधि मिली है ।
- यह दुनिया के सबसे मूल्यवान उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी में से एक है , जिसका उपयोग जहाज निर्माण , निर्माण , फर्नीचर , फर्श और संगीत वाद्ययंत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है ।
- भारत में विश्व के 35% सागौन वन हैं , तथा एशिया में वैश्विक सागौन संसाधनों का 95% से अधिक हिस्सा मौजूद है ।
- एफएओ ग्लोबल टीक रिसोर्सेज एंड मार्केट असेसमेंट 2022 के अनुसार , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देशी सागौन वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है ।

भौगोलिक वितरण:

- यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया , विशेषकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और इंडोनेशिया का मूल निवासी है ।
- भारत में सागौन मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , कर्नाटक , केरल , तमिलनाडु , असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है ।
- यह मुख्यतः नम पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती वनों में उगता है ।
- यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और पूर्ण सूर्य के प्रकाश को पसंद करता है। यह 30-40 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है ।

पारिस्थितिक और संरचनात्मक विशेषताएँ

- सीधे, बेलनाकार तने (1-1.5 मीटर व्यास) वाला बड़ा, पर्णपाती वृक्ष ।
- पत्तियां : आयताकार, चमकदार, गहरे हरे रंग की; विपरीत जोड़ों में व्यवस्थित ।
- फूल : छोटे, सफेद/क्रीम रंग के, सुगंधित , गुच्छों में लगते हैं।
- लकड़ी का रंग : सुनहरा भूरा से गहरा भूरा।
- पारिस्थितिक भूमिका : देशी पारिस्थितिक तंत्र में वन्य जीवन और जैव विविधता का समर्थन करता है।

विनियामक संदर्भ

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के तहत सरकारी वनों में ग्रीन फ़ेलिंग (पेड़ों की व्यावसायिक कटाई) प्रतिबंधित है ।
- इसलिए, निजी सागौन बागान घरेलू और निर्यात मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

भारत की तटरेखा अब 11,988 किलोमीटर लंबी

संदर्भ:

भारत ने हाल ही में 1970 के दशक के बाद पहली बार अपनी आधिकारिक तटरेखा की लंबाई को अद्यतन किया है। उन्नत मानचित्रण तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, सर्वे ऑफ इंडिया ने तटरेखा की लंबाई में लगभग 47% की उल्लेखनीय वृद्धि का खुलासा किया है।

समाचार के बारे में:

- भारत की तटरेखा को 7,516 किमी से बढ़ाकर 11,988 किमी कर दिया गया है।
- यह संशोधन GIS, LiDAR और उपग्रह डेटा जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से किया गया।
- सर्वे ऑफ इंडिया ने हाई-टाइड लाइन के आधार पर मानचित्रण किया।
- सबसे अधिक वृद्धि गुजरात में दर्ज की गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल में।

विशेषताएँ:

- 1:4,500,000 के बजाय उच्च-रिज़ॉल्यूशन 1:250,000 स्केल का उपयोग।
- खाड़ियों, मुहानों, इनलेट्स और फ्रैक्टल तटीय विशेषताओं को शामिल किया गया।
- "कोस्टलाइन पैराडॉक्स" सिद्धांत अपनाया गया—मापन की सटीकता बढ़ने पर लंबाई भी बढ़ती है।
- लो टाइड के दौरान या बुनियादी ढांचे से जुड़े इनशोर द्वीपों को शामिल किया गया।
- 2011 के इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स और उपग्रह/हवाई छवियों का उपयोग किया गया।
- सटीकता और योजना के लिए हर 10 वर्षों में मापन की समीक्षा की जाएगी।

चुनौतियाँ:

- **नियमात्मक अंतराल**: पुराने कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट प्लान (पुराने नक्शों पर आधारित) को अब संशोधित करना होगा।
  उदाहरण: पुराने डेटा पर आधारित CRZ मानचित्र विकास क्षेत्रों को गलत वर्गीकृत कर सकते हैं।
- **आपदा तैयारी जोखिम**: गलत तटरेखा डेटा पर आधारित आपातकालीन योजना।
  उदाहरण: बाढ़-प्रवण तटीय गांवों को निकासी योजना में गलत रूप से दर्शाया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय कुप्रबंधन**: गलत तटीय डेटा नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है।
  उदाहरण: मैंग्रोव संरक्षण क्षेत्र स्थानांतरित हो सकते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण प्रभावित होता है।
- **प्रशासनिक टकराव**: तटीय राज्यों के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
  उदाहरण: मुहाने क्षेत्रों में संसाधनों के बंटवारे पर नए कानूनी विवाद हो सकते हैं।

आगे की राह:

- संशोधित डेटा का उपयोग कर कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) मानचित्रों को अपडेट करें।
  उदाहरण: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नए CRZ ज़ोन वास्तविक तटरेखा दर्शाएं।
- विस्तारित समुद्री सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करें।
  उदाहरण: नौसेना और तटरक्षक बल को गुजरात जैसे विस्तृत तटों पर गश्त करनी होगी।
- आपदा लचीलापन और ज़ोनिंग को भू-स्थानिक मानचित्रण से मजबूत करें।
  उदाहरण: ओडिशा के चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों के लिए अद्यतन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार हों।
- सटीक भूमि-समुद्र इंटरफेस के साथ एकीकृत तटीय विकास योजनाओं को बढ़ावा दें।
  उदाहरण: महाराष्ट्र में बंदरगाह विस्तार को नए डेटा के अनुरूप बनाएं।

निष्कर्ष:

भारत की संशोधित तटरेखा लंबाई केवल एक संख्यात्मक अपडेट नहीं है—यह इस बात को दर्शाता है कि हम अपने तटों को कैसे समझते हैं,

शासित करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। यह भविष्य की तटीय योजना और नीतियों में **प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा** को एकीकृत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इतिहास

रघुजी भोसले I

खबरों में क्यों?

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महान मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार को पुनः प्राप्त कर लिया है।

रघुजी भोसले I के बारे में:

- रघुजी भोसले प्रथम (1695-14 फ़रवरी 1755) नागपुर के भोसले परिवार के संस्थापक और छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल के दौरान मराठा सेना में एक महत्वपूर्ण कमांडर थे।
- छत्रपति शाहू महाराज ने रघुजीराजे को उनकी बहादुरी और युद्ध रणनीति के लिए 'सेनासाहिबसुभा' की उपाधि दी थी ।
- रघुजीराजे भोसले प्रथम ने 1745 और 1755 में बंगाल के नवाब के खिलाफ सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार बंगाल और ओडिशा तक किया।
- इसके साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल में चंदा, छत्तीसगढ़ और संबलपुर के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया ।
- उन्होंने कुडप्पा और कुरनूल के नवाबों को भी हराया और दक्षिण भारत में अपना सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया।

नागपुर भोंसले कौन थे?

- पेशवा, होल्कर, गायकवाड़ और सिंधिया परिवारों की तरह नागपुर भोंसले परिवार ने भी मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भोंसले राजवंश की नागपुर शाखा की स्थापना राघोजी भोंसले प्रथम ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी।
- उन्होंने मध्य और पूर्वी भारत में मराठा प्रभाव का विस्तार किया, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- यह परिवार मराठों के शाही या क्षत्रिय कुलों में से एक था और खुद को उदयपुर के सिसोदिया राजपूतों का वंशज मानता था ।
- नागपुर के भोंसले हिंगणीकर के नाम से जाने जाते थे , क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक - जो संभवतः छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी के समकालीन थे - ने वर्तमान पुणे जिले के हिंगणी के पास बेराडी गांव का पुनर्वास किया था।
- नागपुर भोसले खनिज-समृद्ध क्षेत्र पर शासन करते थे , जो लोहे और तांबे से भरपूर था, जिसका कुशलतापूर्वक उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं और दुर्जेय हथियारों के निर्माण के लिए किया जाता था।
- भोसले द्वारा तैयार किए गए हथियारों की गुणवत्ता और कलात्मकता उनके असाधारण शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कला और संस्कृति

लैराई देवी मंदिर

खबरों में क्यों?

एक दुखद घटनाक्रम में, उत्तरी गोवा के बिचोलिम के शिरगांव गांव में शनिवार तड़के श्री लैराई देवी मंदिर में वार्षिक लैराई जात्रा जुलूस के दौरान मची भगदड़ में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक अन्य घायल हो गए।

लैराई देवी मंदिर के बारे में

- लैराई देवी मंदिर उत्तरी गोवा के बिचोलिम तालुका के शिरगाओ गांव में स्थित एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्थल है।
- देवी लैराई को समर्पित यह मंदिर, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है , स्थानीय समुदाय के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है।
- मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक गोवा डिजाइन को दर्शाती है, जिसमें जटिल नक्काशी और जीवंत आंतरिक सज्जा इसके पवित्र आकर्षण को बढ़ाती है।
- यह मंदिर धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है, स्थानीय हिंदू और कैथोलिक लोग लैराई देवी और मापुसा की वर्जिन मैरी को बहन मानते हैं।
- यह स्थान वार्षिक लैराई देवी जात्रा (शिरगाओ जात्रा) के आयोजन के लिए जाना जाता है, जहां "धोंड" नामक भक्तों द्वारा नाटकीय अग्नि-चलन अनुष्ठान (अग्निदिव्य) किया जाता है।

- यह त्यौहार जुलूस, भक्ति नृत्य और ढोल-नगाड़ों के साथ शुरू होता है। आधी रात को, एक विशाल अलाव जलाया जाता है, और सुबह के समय, आग पर चलने की रस्म शुरू होती है। भक्त अंगारों को पार करते हुए देवी का नाम जपते हैं, यह विश्वास करते हुए कि धर्मी लोग सुरक्षित रहेंगे।
- इस आयोजन में गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिससे सामुदायिक बंधन मजबूत होते हैं और स्थानीय परम्पराएं सुदृढ़ होती हैं।

स्रोत: द प्रिंट

सफा मस्जिद

खबरों में क्यों?

महीनों की देरी और उपेक्षा के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) गोवा के पोंडा में सफा मस्जिद में सदियों पुरानी पानी की टंकी के आसपास क्षतिग्रस्त मेहराब संरचना की मरम्मत शुरू करेगा।

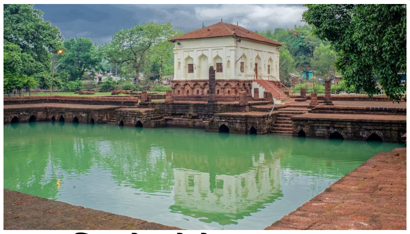

सफा मस्जिद के बारे में:

- सफा मस्जिद, जिसे सफा शाहौरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, गोवा के पोंडा गांव में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है।
- बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वारा 1560 में निर्मित यह मस्जिद उन कुछ इस्लामी संरचनाओं में से एक है, जो पुर्तगाली औपनिवेशिक युग में भी बची रहीं, जब कई मंदिर और मस्जिदें नष्ट कर दी गयी थीं।
- अपने ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण, सफा मस्जिद को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है।

सफा मस्जिद की वास्तुकला:

- मस्जिद को इंडो-इस्लामिक वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है।
- इसमें एक आयताकार संरचना है जिसमें एक प्रार्थना कक्ष है। छत टेराकोटा टाइलों से बनी है।
- मस्जिद की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी सादगी है, जिसमें न्यूनतम सजावट और साफ-सुथरी रेखाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे एक शांतिपूर्ण और चिंतनशील वातावरण का निर्माण होता है।
- मस्जिद पर कोई शिलालेख नहीं है , न ही इसके निर्माण का कोई ऐतिहासिक अभिलेख है ।
- मस्जिद के पास एक पानी का टैंक (हौज़) है, जिसमें जटिल चिनाई और पत्थर की नक्काशी है।
- ऐसा माना जाता है कि यह तालाब एक व्यापक जल प्रणाली का हिस्सा था, जिसमें संभवतः फव्वारे और मंडप शामिल थे।
- सफ़ा मस्जिद की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसका उद्यान है , जिसे चारबाग़ शैली में डिज़ाइन किया गया है । इस उद्यान लेआउट में पथों और पौधों की व्यवस्था शामिल है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

राजव्यवस्था और शासन

निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी)

खबरों में क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि पीएमबी "भविष्यदर्शी" हैं और विधायी प्रगति के लिए "सोने की खान" हैं।

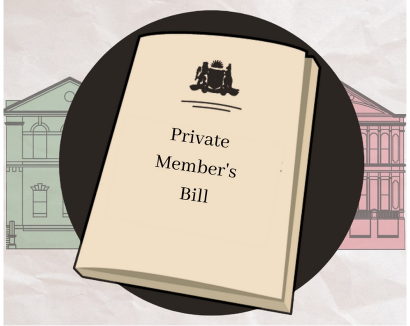

निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) के बारे में

- निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) किसी भी संसद सदस्य (एमपी) द्वारा प्रस्तुत किया गया विधायी प्रस्ताव है , जो मंत्री नहीं है , चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत ।
- पीएमबी का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित संसद सदस्य की होती है , किसी मंत्रालय की नहीं।
- संसदीय नियमों के तहत संसद में पीएमबी पेश करने के लिए एक महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है।
- पीएमबी अक्सर सांसदों, विशेषकर विपक्ष के, के वैचारिक रुख, व्यक्तिगत विश्वास या जनहित संबंधी चिंताओं को प्रतिबिंबित करते हैं ।

संसद में पीएमबी के लिए समय आवंटन

- लोक सभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही के अंतिम ढाई घंटे प्रधानमंत्री श्रम विधेयकों के प्रस्तुतीकरण और चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं।
- राज्य सभा में पीएमबी पर हर दूसरे शुक्रवार को ढाई घंटे तक चर्चा होती है ।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड और रुझान

- स्वतंत्रता के बाद से अब तक केवल 14 पीएमबी पारित हुए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है , जिनमें से अंतिम 1970 में कानून बना था ।
- 17वीं लोकसभा (2019-2024) में , लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 पीएमबी पेश किए गए । फिर भी, लोकसभा में केवल 2 और राज्यसभा में 14 पीएमबी पर चर्चा हुई ।
- 18वीं लोकसभा में , 2024 के बजट सत्र तक , केवल 20 सांसदों ने पीएमबी पेश किए , और व्यवधानों और अन्य कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण उनमें से एक पर भी चर्चा नहीं हुई ।

स्रोत: द हिंदू

ECINET: ECI का वन-स्टॉप इलेक्टोरल टेक प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों?

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के लिए एकल-बिंदु ऐप ECINET की घोषणा की है।

ECINET के बारे में:

- उद्देश्य: एक वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म जो EC के मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब ऐप को एक एकल और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत और सुव्यवस्थित करेगा, जिससे कई लॉगिन की आवश्यकता को समाप्त करके नेविगेशन आसान हो जाएगा।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो, ECINET डेटा केवल अधिकृत EC अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाएगा।
- मर्ज किए जा रहे प्रमुख ऐप: वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, cVIGIL, सुविधा 2.0, ESMS, सक्षम और KYC - कुल 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड के साथ।
- विकास प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा परिकल्पित।
- पहुँच: नई पहल से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और पूरे चुनावी प्रशासन को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- कानूनी अनुपालन: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1950, 1951), प्रासंगिक चुनावी नियम (1960, 1961) और ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के साथ पूरी तरह से संरेखित।

स्रोत: द हिंदू

राइट टू रिपेयर आंदोलन

प्रसंग:

भारत में "राइट टू रिपेयर" (मरम्मत का अधिकार) आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। यह उपभोक्ताओं को यह अधिकार देने की मांग करता है कि वे अपने उत्पादों को स्वयं या किसी थर्ड पार्टी से मरम्मत करवा सकें, केवल निर्माता पर निर्भर न रहें।

राइट टू रिपेयर क्या है?

यह सरकार की ऐसी नीतियों को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत या संशोधन की स्वतंत्रता देती हैं।

मुख्य उद्देश्य:

- उपभोक्ता सस्ते में अपने उत्पादों की मरम्मत या अपग्रेड कर सकें।
- केवल निर्माता की सेवाओं पर निर्भरता न हो।
- इसकी शुरुआत अमेरिका में 2012 के "Motor Vehicle Owners' Right to Repair Act" से हुई थी, जिससे वाहन की मरम्मत से जुड़ी जानकारी उपभोक्ताओं को मिलने लगी।

प्रस्तावित ढांचा:

- निर्माता कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ मरम्मत की जानकारी साझा करनी होगी।
- उपभोक्ता चाहें तो स्वयं मरम्मत करें या थर्ड पार्टी सेवा का उपयोग करें।
- यह ढांचा OEM (Original Equipment Manufacturer) और थर्ड पार्टी के बीच संतुलन बनाएगा।
- मरम्मत क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

राइट टू रिपेयर के लाभ:

- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि छोटे मरम्मत व्यवसाय फलेंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक कचरे (e-waste) में कमी आएगी।
- उपभोक्ताओं के लिए लागत में बचत होगी।
- उत्पादों की उम्र बढ़ेगी जिससे दोबारा उपयोग, मरम्मत और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा।

जहाँ यह लागू किया जा सकता है:

- कृषि मशीनरी
- मोबाइल फोन और टैबलेट
- घरेलू उपकरण
- ऑटोमोबाइल और अन्य मशीनें

यह क्यों जरूरी है?

- निर्माता कंपनियाँ स्पेयर पार्ट्स और डिज़ाइन की जानकारी रोक कर रखती हैं।
- अनधिकृत मरम्मत से वारंटी खत्म हो सकती है।
- मरम्मत की मैनुअल और जानकारी सार्वजनिक नहीं होती।
- "प्लांड ऑब्सोलेसेंस" की समस्या, जिसमें उत्पाद जानबूझकर कम समय के लिए बनाए जाते हैं।
- खराब या मरम्मत न हो सकने वाले उत्पाद e-waste बढ़ाते हैं।
- यह आंदोलन भारत की "LiFE" (Lifestyle for Environment) पहल से मेल खाता है, जो पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है।

आगे की राह:

- स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और डायग्नोस्टिक किट को जनता और थर्ड पार्टी मरम्मतकर्ताओं के लिए सुलभ बनाना।
- एक कानूनी ढांचे की जरूरत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अधिकृत सेवाएं नहीं हैं।

भारत का अनौपचारिक मरम्मत क्षेत्र सरकार की मदद से बेहतर सेवाएं दे सकता है।

दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना

प्रसंग:

भारत की डिजिटल प्रणाली अब वित्तीय, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की रीढ़ बन चुकी है। परंतु, दिव्यांगजन विशेष रूप से डिजिटल KYC प्रक्रिया में भारी बहिष्करण का सामना कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'डिजिटल पहुंच के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

मुद्दे का सार:

डिजिटल अवसंरचना:

बैंकिंग, टेलीकॉम, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच के लिए डिजिटल पहचान आवश्यक हो चुकी है।

बहिष्करण:

नेत्रहीन, विकृत चेहरा या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह अनुपलब्ध हैं।

उदाहरण:

- फेस रिकग्निशन और सेल्फी अपलोड करना नेत्रहीनों के लिए कठिन।
- स्क्रीन पर चमकती सूचनाएं या ओटीपी प्रमाणीकरण, स्क्रीन रीडर से रहित होते हैं।
- अंगूठे के निशान को पैन या डिजिटल KYC में मान्यता नहीं दी जाती।

कानूनी आधार:

- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
    - अब इसमें शामिल है:
        - गरिमा का अधिकार
        - आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य
        - और अब: डिजिटल पहुंच का अधिकार
- अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद:
    - अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
    - अनुच्छेद 15: भेदभाव निषेध

वैधानिक ढाँचा:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD)
    - UNCRPD के अनुरूप
    - सामाजिक दृष्टिकोण अपनाता है
    - धारा 42:
        - ऑडियो विवरण
        - कैप्शन
        - संकेत भाषा
        - सार्वभौमिक डिज़ाइन की अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:

- राजीव रतूरी बनाम भारत संघ (2024)
- अप्रैल 2025 के KYC मामले में:
    - डिजिटल पहुंच मौलिक अधिकार है
    - डिजिटल बहिष्करण = डिजिटल भेदभाव
    - RBI, SEBI, DoT को सार्वभौमिक डिज़ाइन और समावेशन अनिवार्य करना होगा

आगे का रास्ता:

- **नियामकों की अनिवार्य भूमिका:**
  नियमों में बदलाव कर सभी बैंकों, बीमा कंपनियों, टेलीकॉम सेवाओं पर पालन का दबाव।
- **एक्सेसिबिलिटी ऑडिट:**
  सभी ऐप्स, वेबसाइटों की समय-समय पर जांच।
- **डिज़ाइन में समावेशन:**
  डिज़ाइन के प्रारंभ से ही दिव्यांगजनों की जरूरतों को शामिल करना।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता:**
  स्टाफ और डेवलपर्स को कानून और समावेशी डिज़ाइन पर प्रशिक्षित करना।
- **तकनीकी अनुकूलता:**
  AI आधारित टूल्स में ऑडियो संकेत, संकेत भाषा, स्क्रीन रीडर, और वैकल्पिक पहचान (जैसे अंगूठे के निशान) की सुविधा हो।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत में डिजिटल समानता की दिशा में मील का पत्थर है। डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से तकनीक के महत्व को कानूनी संरक्षण मिला है। अब आवश्यकता है कि इस अधिकार को ज़मीन पर उतारने के लिए कठोर प्रवर्तन, संस्थागत जिम्मेदारी और समावेशी सोच को अपनाया जाए।

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया संवैधानिक संदर्भ

प्रसंग:

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। यह कदम अनुच्छेद 143 के तहत उठाया गया, जो राष्ट्रपति को संवैधानिक या जनहित के किसी गंभीर मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। यह भारतीय लोकतंत्र और विधिक ढांचे में न्यायपालिका की परामर्शदात्री भूमिका को दर्शाता है।

अनुच्छेद 143: क्या है यह प्रावधान?

- यह **राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं**, यदि:
    - कोई **महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न** सामने है, या
    - ऐसा कोई विषय है जो **जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण** हो।
- न्यायालय का उत्तर:
    - अनिवार्य नहीं है कि राष्ट्रपति दी गई सलाह का पालन करें।
    - लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया ऐसा संदर्भ, विधिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शनकारी होता है।

ऐतिहासिक उदाहरण:

1. **केशवनंद भारती के बाद (1973):**
    - सुप्रीम कोर्ट के 'बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत' पर राष्ट्रपति ने राय मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस संदर्भ को सुनवाई के लायक नहीं माना।
2. **राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (1993):**
    - राष्ट्रपति ने पूछा: क्या वहाँ 6 दिसंबर 1992 से पहले मंदिर था?
    - सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से इनकार किया, कहा कि यह एक ऐतिहासिक-तथ्यात्मक सवाल है, संवैधानिक नहीं।
3. **बेरूबारी केस (1960):**
    - भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद से संबंधित था।
    - सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: क्षेत्र का हस्तांतरण केवल संवैधानिक संशोधन से संभव है।
4. **सारनाथ संदर्भ (2024, काल्पनिक उदाहरण):**
    - राष्ट्रपति ने यह जानना चाहा: क्या संसद एक धर्मविशेष के अनुयायियों को विशेष अल्पसंख्यक दर्जा दे सकती है?
    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा: ऐसा कोई वर्गीकरण अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघन की जांच में पड़ता है, और इससे जुड़ी विधायिका की सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं।

वर्तमान संदर्भ: (काल्पनिक विवरण)

- राष्ट्रपति ने सवाल भेजा है:
  "क्या एक राज्यपाल, विधानसभा में सरकार गठन के समय, बहुमत सिद्ध करने से पूर्व किसी दल/गठबंधन को आमंत्रित कर सकता है, यदि वह बहुमत के बिना सबसे बड़ी पार्टी है?"
- यह सवाल महाराष्ट्र जैसे मामलों से प्रेरित हो सकता है, जहां राज्यपालों की भूमिका विवादास्पद रही है।

संवैधानिक महत्व:

- यह राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच परामर्श की एक परिष्कृत प्रक्रिया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि विवादास्पद मामलों में **न्यायिक व्याख्या** के माध्यम से स्पष्ट दिशा मिले।

आलोचनाएँ और सीमाएँ:

- सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, जिससे कई बार **प्रभावहीनता** की आशंका रहती है।
- कार्यपालिका इस प्रावधान का प्रयोग **राजनीतिक प्रश्नों पर न्यायपालिका को घसीटने** के लिए कर सकती है।
- कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार भी किया है, जिससे इस प्रक्रिया की **सीमाएँ उजागर होती हैं**।

आगे का रास्ता:

RACE IAS

- **संवैधानिक शुद्धता सुनिश्चित हो:**
  राष्ट्रपति को केवल उन्हीं मामलों में परामर्श लेना चाहिए जो **वास्तव में विधिक और संवैधानिक हों**, न कि राजनीतिक।
- **परिषद और न्यायपालिका में संतुलन:**
  इस परामर्श तंत्र का प्रयोग **सुधारात्मक और मार्गदर्शक भूमिका में** हो, न कि कार्यपालिका द्वारा दबाव बनाने के रूप में।
- **पारदर्शिता बढ़े:**
  ऐसे संदर्भों और सुप्रीम कोर्ट की राय को **जनसामान्य के लिए सुलभ और व्याख्यायित रूप में** प्रस्तुत किया जाए।

निष्कर्ष:
अनुच्छेद 143, भारत के संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति को न्यायिक राय लेने की शक्ति देता है। यह न्यायपालिका की परामर्शी भूमिका को औपचारिक बनाता है और विधिक जटिलताओं में मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि इसका प्रयोग सीमित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि संवैधानिक संतुलन बना रहे और न्यायपालिका की निष्पक्षता अक्षुण्ण रहे।

उच्च न्यायालयों में न्यायिक विविधता: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

प्रसंग
क़ानून मंत्रालय और न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित हालिया आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उच्च न्यायालयों में **हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार कम** है, जिससे भारत की उच्च न्यायपालिका में समावेशिता और प्रणालीगत पक्षपात को लेकर गंभीर चिंताएँ उठ रही हैं।

प्रमुख घटनाक्रम
- 2018 के बाद से की गई न्यायाधीश नियुक्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग **78% नियुक्त न्यायाधीश उच्च जातियों** से हैं।
- **ओबीसी वर्ग से मात्र 12%**, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से **प्रत्येक 5%**, और **अल्पसंख्यक समुदायों से भी केवल 5%** न्यायाधीश नियुक्त हुए।
- जनवरी 2023 में एक संसदीय समिति को दिए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार, **2018–2022 के बीच 537 नियुक्तियों में से** उच्च जातियों का हिस्सा **79%**, ओबीसी का **11%**, एससी का **2.8%**, एसटी का **1.3%**, और अल्पसंख्यकों का **2.6%** रहा।
- अगस्त 2024 तक उच्च न्यायालयों में **केवल 14% महिला न्यायाधीश** हैं।
- एक ही नियुक्ति चक्र में **14 न्यायाधीश ऐसे थे जो सेवा में या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के परिवार के सदस्य** थे—और सभी सामान्य वर्ग से थे।

कानूनी और संस्थागत ढांचा
संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 224: अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति

नियुक्ति प्रक्रिया:
- प्रक्रिया की शुरुआत उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश करते हैं
- सिफारिशें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की जाती हैं
- अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका से परामर्श कर की जाती है

आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं:
- संविधान में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए **आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है**।

सरकार की भूमिका:
- केंद्र सरकार **मुख्य न्यायाधीशों से विविधता सुनिश्चित करने का अनुरोध** करती है, लेकिन **स्वतंत्र रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकती**।
- अंतिम निर्णय **कॉलेजियम प्रणाली** के पास होता है।

वर्तमान प्रतिनिधित्व के आंकड़े
जाति और समुदाय के अनुसार प्रतिनिधित्व (2018–2024):

वर्ग	प्रतिशत	संख्या (715 में से)
उच्च जातियाँ	~78%	~557
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	~12%	89
अनुसूचित जाति (SC)	~5%	22
अनुसूचित जनजाति (ST)	~5%	16
अल्पसंख्यक	~5%	37

लैंगिक प्रतिनिधित्व:
- अगस्त 2024 तक महिला न्यायाधीश: **754 में से 106 (~14%)**
- प्रगति: **2021 में 11%**, **2023 में 13%**, **2024 में 14%**
- वर्तमान में उच्च न्यायालयों में **केवल 2 महिला मुख्य न्यायाधीश**
- **8 उच्च न्यायालयों में सिर्फ एक महिला न्यायाधीश**; त्रिपुरा और मेघालय में एक भी नहीं
- **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय** में सबसे अधिक **14 महिला न्यायाधीश**
- **प्रति प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व:** सिक्किम (33%), तेलंगाना (29.6%), गुजरात (27.5%)

चुनौतियाँ
1. संरचनात्मक रूप से उच्च जातियों का प्रभुत्व:
- कॉलेजियम प्रणाली में **विविधता को लेकर कोई बाध्यकारी दिशा-निर्देश नहीं** हैं।
- **जातीय डेटा की नियमित घोषणा नहीं होती**।

2. महिलाओं और अल्पसंख्यकों का कम प्रतिनिधित्व:
- विधि विद्यालयों में नामांकन बढ़ने के बावजूद, **महिलाओं का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व धीमी गति से बढ़ रहा** है।
- **अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी भी बेहद कम** है।

3. भाई-भतीजावाद और पारिवारिक प्रभाव:
- सेवा में या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के परिजनों की नियुक्ति से **क्लब संस्कृति और विशिष्ट वर्ग का वर्चस्व** झलकता है।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:
- कॉलेजियम की प्रक्रिया **गोपनीय** होती है और **विविधता से जुड़ा कोई बाध्यकारी मानक नहीं** है।
- **सरकार की भूमिका केवल सलाहकार तक सीमित** है, निर्णयकारी नहीं।

सिफारिशें और आगे का रास्ता

1. विविधता मानकों का संस्थानीकरण:

- कोटा नहीं, बल्कि **लक्ष्य आधारित विविधता** को कार्यप्रणाली ज्ञापन (MoP) में शामिल किया जाए।
- **जाति और लिंग के आधार पर नियमित ऑडिट की व्यवस्था** की जाए।

2. पारदर्शी कॉलेजियम सुधार:

- नियुक्तियों की **जनसांख्यिकीय जानकारी सार्वजनिक** की जाए।
- **पात्रता मानदंड में विविधता मानक** को जोड़ा जाए।

3. न्यायिक पहुंच और प्रशिक्षण:

- SC/ST/OBC और अल्पसंख्यक विधि पेशेवरों के लिए **न्यायिक मेंटरिंग योजनाएँ** बनाई जाएं।
- UK मॉडल की तर्ज़ पर **कार्य-अनुसरण और समावेशिता संवेदनशीलता कार्यक्रम** प्रारंभ हों।

4. प्रतिभा स्रोत का विस्तार:

- **क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को उच्च न्यायालयों के लिए पोषण संस्थान** के रूप में प्रोत्साहित किया जाए।
- **वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले प्रतिभाशाली पहले-पीढ़ी के वकीलों के लिए अनुभव मानदंडों में लचीलापन** लाया जाए।

निष्कर्ष

न्यायपालिका की वैधता के लिए केवल स्वतंत्रता नहीं, **विविधता भी अनिवार्य है**। उच्च न्यायालयों में **महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों का प्रतिनिधित्व अभी भी अपर्याप्त** है। भले ही संवैधानिक रूप से कोई आरक्षण न हो, लेकिन **न्यायसंगतता और लोक विश्वास के लिए सक्रिय प्रयास** आवश्यक हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

ऑरेंज इकोनॉमी

खबरों में क्यों?

हाल ही में मुम्बई में आयोजित विश्व दृश्य-श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) में प्रधानमंत्री ने भारत की तेजी से बढ़ती नारंगी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला - जो विषय-वस्तु, रचनात्मकता और संस्कृति से संचालित है।

ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में:

- ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे 'रचनात्मक अर्थव्यवस्था' के रूप में भी जाना जाता है, एक अवधारणा है जिसमें रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक नेटवर्क के अनुसार, रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक विकासशील विचार है जो आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान और क्षमता पर केंद्रित है।
- यह अर्थव्यवस्था आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को एकीकृत करती है , प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और पर्यटन उद्देश्यों के साथ बातचीत करती है ।
- इसमें विकास आयाम के साथ ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं , जो समग्र अर्थव्यवस्था के साथ वृहद और सूक्ष्म स्तर पर परस्पर संपर्क स्थापित करती हैं।
- ये व्यक्तिगत रचनात्मकता, कौशल और प्रतिभा पर आधारित उद्योग हैं , जिनमें रोजगार, धन और सांस्कृतिक मूल्य सृजित करने की क्षमता है।
- इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में विज्ञापन, वास्तुकला, कला और शिल्प, डिजाइन, फैशन, फिल्म, वीडियो, फोटोग्राफी, संगीत, प्रदर्शन कला, प्रकाशन, अनुसंधान और विकास, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम , इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और टीवी/रेडियो शामिल हैं।
- कोलंबियाई अर्थशास्त्री फेलिप बुइट्रैगो और इवान डुके द्वारा प्रचलित शब्द "नारंगी" रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार, ऑरेंज अर्थव्यवस्था वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3% और दुनिया भर में 30 मिलियन नौकरियों के लिए जिम्मेदार है।
- विचारों से प्रेरित होकर, यह निरंतर नवाचार, एकल उत्पादों (बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं) और डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता है।

स्रोत: द हिंदू

भारत में मुद्रास्फीति संकेतक: WPI और CPI

प्रसंग:

अप्रैल 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3.16% तक गिर गई, जो लगभग 6 वर्षों में सबसे कम है। यह लगातार छठा महीना है जब महंगाई घटी है, खासकर सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट से। इससे घरों को राहत मिली है और मूल्य स्थिरता में सुधार का संकेत मिला है।

WPI – होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है?

- थोक स्तर पर बिकने वाले सामान की औसत कीमत में बदलाव को मापता है।
- यह उत्पादकों और बड़े वितरकों पर लागत दबाव को दर्शाता है।
- **जारी करता है:** आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **आधार वर्ष:** 2011–12 (2017 में संशोधित)।
- **कवरेज:** केवल वस्तुएं (सेवाएं नहीं)।
- **वेटेज:** निर्मित वस्तुएं ~64%, खाद्य वस्तुएं ~15.26%

CPI – कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?

- उपभोक्ता के दृष्टिकोण से खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बदलाव को दर्शाता है।
- **जारी करता है:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), MoSPI द्वारा।
- **आधार वर्ष:** 2012
- **कवरेज:** वस्तुएं और सेवाएं दोनों।

RACE IAS

- **वेटेज:** भोजन और पेय ~45.86%

CPI के प्रकार:

- औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI (CPI-IW)
- कृषि श्रमिकों के लिए CPI (CPI-AL)
- ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI (CPI-RL)
- ग्रामीण/शहरी/संयुक्त CPI
- पहले तीन श्रेणियाँ श्रम ब्यूरो द्वारा बनाई जाती हैं, अंतिम NSO द्वारा।

WPI बनाम CPI: मुख्य अंतर

पहलू	**WPI**	**CPI**
दृष्टिकोण	उत्पादक/थोक स्तर	उपभोक्ता/खुदरा स्तर
कवरेज	केवल वस्तुएं	वस्तुएं और सेवाएं दोनों
उपयोग	औद्योगिक/व्यापार नीति विश्लेषण	मौद्रिक नीति निर्माण
प्रकाशित करता है	आर्थिक सलाहकार कार्यालय	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
आधार वर्ष	2011–12	2012
प्रमुख वेटेज	निर्मित वस्तुएं	भोजन और पेय

चिंताएं और प्रभाव:

- WPI और CPI के बीच बढ़ता अंतर यह संकेत देता है कि कीमतों का स्थानांतरण रिटेल तक पहुँचने में समय लगता है या टैक्स जैसे कारणों से अंतर बनता है (जैसे GST)।
- अगर WPI तेजी से बढ़ता है, तो वह CPI में भी बढ़ोतरी ला सकता है, जिससे परिवारों पर असर पड़ता है और केंद्रीय बैंक को सख्त मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है।
- नीति निर्माताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि महंगाई उपभोक्ता मांग के कारण है (demand-pull) या लागत वृद्धि से (cost-push)।

निष्कर्ष:

WPI जहां आपूर्ति पक्ष की स्थितियों को दर्शाता है, वहीं CPI उपभोक्ताओं पर असर को दिखाता है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना महामारी के बाद स्थिरता के लिए जरूरी है।

भूखमरी की कगार पर ग़ाज़ा : WHO

प्रसंग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **ग़ाज़ा** में व्याप्त **भूख** की स्थिति को **विश्व की सबसे भीषण मानवीय संकटों** में एक बताया है। **21 लाख लोग** नाकाबंदी के तहत हैं, जिससे **खाद्य** और **सहायता सामग्री** की आपूर्ति बाधित है। लगभग **5 लाख लोग** भीषण **भूख**, **बीमारी** और **मृत्यु जोखिम** में हैं।

भुखमरी क्या है और इसे कब घोषित किया जाता है?

भुखमरी (Famine) खाद्य असुरक्षा का सबसे **गंभीर स्तर** है, जिसमें लोग **अत्यधिक खाद्य संकट**, **कुपोषण**, और **भूख से मृत्यु दर** में वृद्धि का सामना करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भुखमरी की घोषणा के लिए ये **तीन प्रमुख मानदंड** होते हैं:

- **20% घरों** को **अत्यधिक खाद्य संकट** हो।
- **30% से अधिक बच्चों** में **तीव्र कुपोषण** हो।
- **10,000 लोगों में 2** या **10,000 बच्चों में 4** की **दैनिक मृत्यु दर** भूख से हो।

भुखमरी, **खाद्य**, **जल** और **जीवन रक्षक संसाधनों** की **पूर्ण विफलता** को दर्शाती है।

भूख और शरीर पर प्रभाव

पोषण की दीर्घकालिक कमी से शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे **शारीरिक क्षय** और अंततः **मृत्यु** हो सकती है।

भूख की प्रक्रिया के तीन चरण:

1. **प्रारंभिक चरण** – एक या दो भोजन छोड़ने से शुरू हो सकता है।
2. **दूसरा चरण** – शरीर **वसा भंडार** का उपयोग करता है।
3. **अंतिम और घातक चरण** – **वसा समाप्त** होने पर शरीर **मांसपेशियों और हड्डियों** को ऊर्जा के लिए तोड़ता है।

पंचायत स्तर पर 'माइक्रोपिक्चर' प्राप्त करना

प्रसंग: डेटा शासन की चुनौतियाँ और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता

- **सरकारी डेटा तक सीमित पहुंच:**
  data.gov.in जैसे पोर्टलों पर डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, **खराब प्रारूप** के कारण इसका **प्रभावी उपयोग** कठिन है।
- **डेटा प्रणाली में सूक्ष्मता की कमी:**
  वर्तमान डिजिटल प्लेटफॉर्म **केवल उच्च-स्तर के अधिकारियों** के लिए डिज़ाइन हैं, जिससे **ग्राम, ब्लॉक और ज़िला स्तर** के अधिकारियों की जरूरतें पूरी नहीं होतीं।
- **विश्लेषण और प्रस्तुति की कमजोरी:**
  डाटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स की कमी से **प्रमाण-आधारित नीति निर्माण** प्रभावित होता है।

पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) का महत्व और विशेषताएँ

- **समग्र ढांचा:**
  PAI ग्राम पंचायतों के विकास का आकलन **435 संकेतकों** और **9 SDG आधारित विषयों** पर करता है।
- **डेटा कवरेज की समस्या:**
  2.16 लाख ग्राम पंचायतों में से **11,000** को **अमान्य डेटा** के कारण हटा दिया गया।
  उत्तर प्रदेश की केवल **40% पंचायतों** ने **सत्यापित डेटा** दिया।
- **क्रियावान डैशबोर्ड:**
  PAI प्लेटफ़ॉर्म **सांसदों**, **विधायकों**, और **विभागों** को **क्षेत्रवार विश्लेषण** प्रदान करता है।

रूपांतरण की संभावनाएँ और आगे की राह

- **SDG वितरण को सशक्त बनाना:**
  "स्वस्थ पंचायत" जैसे **स्पष्ट संकेतकों** के माध्यम से **जवाबदेही** और **परिणाम-आधारित कार्रवाई** को बढ़ावा मिलता है।
- **शैक्षणिक और नागरिक नेटवर्क की भागीदारी:**
  4,000+ उन्नत भारत अभियान संस्थान स्थानीय **क्षमता निर्माण** में मदद कर सकते हैं।
- **संस्थागत ढांचे का निर्माण:**
  प्रशिक्षित विश्लेषकों की जरूरत है और **शहरी निकायों** के लिए भी एक **समान सूचकांक** विकसित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

PAI विकेंद्रीकृत शासन को सशक्त बनाता है, जिससे **स्थानीय डेटा**, **विश्लेषण**, और **योजना निर्माण** सुधरता है।
SDG लक्ष्यों की डिलीवरी, **जवाबदेही**, और **जमीनी विकास** हेतु **डेटा गुणवत्ता**, **क्षमता निर्माण**, और **शहरी विस्तार** अनिवार्य हैं।

भारतीय मसाला बोर्ड और SPICED योजना

प्रसंग

भारत मसालों के उत्पादन और निर्यात में विश्व का प्रमुख देश है। इस स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारतीय मसाला बोर्ड और हाल ही में शुरू की गई SPICED योजना का उद्देश्य मसाला क्षेत्र में स्थिरता, नवाचार और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, विशेष रूप से इलायची जैसे उच्च-मूल्य वाले मसालों में।

भारतीय मसाला बोर्ड: मूल जानकारी

- विधायी निकाय: मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत।
- स्थापना: 26 फरवरी 1987।
- गठन:
  - इलायची बोर्ड (1968)
  - मसाला निर्यात संवर्धन परिषद (1960) का विलय।
- मुख्यालय: कोच्चि, केरल।
- nodal मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- कार्य: मसाला निर्यात का विकास, विनियमन और संवर्धन, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण, और बाजार विकास।
- कवरेज: मसाला बोर्ड अधिनियम में आधिकारिक तौर पर 52 मसालों को शामिल किया गया है।

SPICED योजना: मूल जानकारी

- पूर्ण नाम: Sustainability in Spice Sector Through Progressive Innovative and Collaborative Interventions for Export Development।
- उद्देश्य: मसाला मूल्य श्रृंखला में नवाचार और सहयोगी मॉडल लागू करना, स्थिरता, गुणवत्ता, उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाना।

इलायची पर SPICED का फोकस

- कारण: उच्च निर्यात मूल्य, रोग प्रवणता, जलवायु संवेदनशीलता।
- प्रकार:
  - छोटी इलायची (हरी): मिठाइयों में उपयोग, "सच्ची इलायची" के नाम से जानी जाती है।
  - बड़ी इलायची (काली): नमकीन व्यंजनों में उपयोग, "नेपाल इलायची" के नाम से प्रसिद्ध।

भारत में उत्पादन

- छोटी इलायची: केरल (70% हिस्सा), कर्नाटक, तमिलनाडु।
- बड़ी इलायची: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड।

वैश्विक तुलना

- शीर्ष उत्पादक: ग्वाटेमाला (50–60% वैश्विक उत्पादन)।
- अन्य उत्पादक: श्रीलंका, भारत।

निर्यात अवलोकन

- भारत प्रमुख इलायची निर्यातक।
- शीर्ष गंतव्य: यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान।
- राजस्व: ₹500–₹600 करोड़ वार्षिक, कम निर्यात मात्रा के बावजूद।

मुख्य चुनौतियाँ

- रोग: इलायची मोज़ेक वायरस जैसे रोग।
- अवसंरचना की कमी: सुखाने, प्रसंस्करण, भंडारण में।
- जलवायु संवेदनशीलता: उत्पादन चक्र और गुणवत्ता प्रभावित।

SPICED योजना – लक्षित समाधान

चुनौती	**SPICED हस्तक्षेप**
कम उत्पादकता	उच्च उपज वाले किस्मों में अनुसंधान एवं विकास।
फसल रोग	रोग निगरानी और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास।
निर्यात प्रतिस्पर्धा	ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, भू-उत्पत्ति सूचक (GI) टैग।
अवसंरचना कमी	आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, शीत भंडारण।
बाजार पहुंच	किसान समूह और निर्यात प्रशिक्षण।

आगे का रास्ता

- सतत खेती को प्रोत्साहन देना: जैविक और जलवायु-प्रतिरोधी खेती।
- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र: GI टैगिंग, ट्रेसबिलिटी, ब्रांडिंग का विस्तार।
- प्रौद्योगिकी पर जोर: मसाला प्रसंस्करण और ट्रेसबिलिटी तकनीक में स्टार्टअप्स का समर्थन।
- समावेशी विकास: छोटे मसाला किसानों को FPOs और सहकारिताओं के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में जोड़ना।

निष्कर्ष

भारतीय मसाला बोर्ड और SPICED योजना वैश्विक मसाला व्यापार में भारत की नेतृत्व स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नवाचार, अवसंरचना और समावेशन पर ध्यान देते हुए यह क्षेत्र आर्थिक विकास और लाखों मसाला किसानों की आजीविका सुरक्षा का स्रोत बन सकता है।

प्रतिजैविक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR)

प्रतिजैविक प्रतिरोध क्यों एक गंभीर चिंता का विषय है?

AMR एक वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के दस सबसे बड़े खतरों में से एक माना है। AMR आधुनिक उपचारों की प्रभावशीलता को कम करता है और दशकों की चिकित्सा प्रगति को उलट सकता है।

AMR क्या है?

- प्रतिजैविक (Antimicrobials) में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटिफंगल, और एंटिपैरासिटिक दवाएँ शामिल हैं।
- ये विभिन्न सूक्ष्मजीवों (बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी) द्वारा होने वाले संक्रमणों का इलाज करती हैं।

- AMR तब होती है जब ये सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रभाव को झेलने के लिए विकसित हो जाते हैं।
- मुख्य कारण: दवाओं का अधिक या गलत उपयोग, और सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक म्युटेशन।
- परिणामस्वरूप, संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है, जिससे मृत्यु दर बढ़ती है, अस्पताल में भर्ती का समय लंबा होता है और चिकित्सा लागत बढ़ती है।
- उदाहरण: मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट तपेदिक (MDR-TB) में मुख्य एंटी-टीबी दवाओं इसोनियाजिड और रिफैंपिसिन का असर नहीं होता।

चेतावनीपूर्ण रुझान और आंकड़े

- अनुमानित बोझ: बिना वैश्विक कार्रवाई के 2050 तक AMR से 1 करोड़ (10 मिलियन) मौतें हो सकती हैं।
- वर्तमान मृत्यु दर (2019): वैश्विक रूप से 12.7 लाख मौतें, भारत में लगभग 3 लाख।
- आर्थिक प्रभाव: लंबी बीमारी, महंगी चिकित्सा, उत्पादकता में कमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव।

AMR कैसे फैलता है?

स्रोत	विवरण
मानव गलत उपयोग	वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक्स का अनुचित उपयोग, दवा पूरी न लेना।
पशुपालन प्रथाएँ	पोल्ट्री और पशुओं में 70% से अधिक एंटीबायोटिक्स वृद्धि हेतु उपयोग।
खाद्य श्रृंखला संचरण	मांस या उत्पादों में दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उपभोग।
स्वास्थ्य संस्थान	अस्वच्छता और अत्यधिक एंटीबायोटिक उपयोग से अस्पताल में प्रतिरोध।
कमजोर नियमन	बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स की आसानी से उपलब्धता।

सरकारी पहलें

- कोलिस्टिन पर प्रतिबंध: पोल्ट्री क्षेत्र में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए।
- राष्ट्रीय AMR कार्य योजना (2017): WHO की वैश्विक योजना के अनुरूप जागरूकता, संक्रमण नियंत्रण, और दवा उपयोग पर नियंत्रण।
- दवा नवाचार: नई दवाओं का विकास जैसे नेफेथ्रोमाइसिन (ब्रांड नाम 'मानेफ')।
- नियामक प्राधिकरण: CDSCO द्वारा दवा अनुमोदन और सुरक्षा पर नियंत्रण।

मुख्य चुनौतियाँ

- AMR नीति लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
- अनौपचारिक बाजारों में एंटीबायोटिक्स की अनियंत्रित बिक्री।
- फार्मा कंपनियों का दबाव, कमजोर परीक्षण वाली दवाओं को जल्दी मंजूरी।
- जनता में दवा दुरुपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता की कमी।
- देशव्यापी AMR निगरानी तंत्र की आवश्यकता।

आगे का रास्ता

- व्यापक शिक्षा अभियान: चिकित्सा पेशेवरों और जनता दोनों के लिए।
- निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार।
- वैकल्पिक उपचारों और टीकों का विकास।
- पशुपालन में एंटीबायोटिक उपयोग पर सख्त नियम।
- वैश्विक सहयोग और अनुसंधान में निवेश।

निष्कर्ष

प्रतिजैविक प्रतिरोध एक बहुआयामी समस्या है जो चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण और नीति स्तर पर समन्वित प्रयासों से ही रोकी जा सकती है। भारत में AMR से निपटना, स्वास्थ्य सुरक्षा और विकास के लिए अपरिहार्य है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

जीनोमइंडिया के प्रस्ताव कॉल में फेनोटाइप डेटा का विवरण नहीं

खबरों में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने उपलब्ध फेनोटाइप डेटा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किए बिना 'जीनोमइंडिया डेटा का उपयोग करके ट्रांसलेशनल अनुसंधान' के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया था, जिससे पूरे भारत में शोधकर्ताओं के बीच चिंता पैदा हो गई थी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- इस परियोजना ने भारत भर में फैली 30 जनजातीय और 53 गैर-जनजातीय आबादियों सहित 83 जनसंख्या समूहों के 20,000 से अधिक व्यक्तियों से रक्त के नमूने और संबंधित फेनोटाइप डेटा सफलतापूर्वक एकत्र किया।
- 9,772 व्यक्तियों के आनुवंशिक डेटा पर आधारित प्रारंभिक निष्कर्ष 8 अप्रैल, 2025 को नेचर जेनेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए।

एकत्र किए गए फेनोटाइप डेटा के प्रकार

- एकत्रित फेनोटाइप डेटा में ऊंचाई , वजन , कूल्हे की परिधि , कमर की परिधि और रक्तचाप जैसे मानवमितीय माप शामिल थे ।
- रक्त के नमूनों से, पूर्ण रक्त गणना और जैव रासायनिक डेटा जैसे ग्लूकोज स्तर , लिपिड प्रोफाइल , यकृत कार्य और गुर्दे के कार्य परीक्षण को मापा गया।

'फेनोम इंडिया' परियोजना के बारे में

- फेनोम इंडिया-सीएसआईआर हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (पीआई-चेक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा 7 दिसंबर, 2023 को शुरू की गई एक पहल है।

RACE IAS

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य मधुमेह, यकृत रोग और हृदय रोगों सहित कार्डियो-मेटाबोलिक रोगों के लिए भारत-विशिष्ट जोखिम पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना है।
- यह भारत का पहला अखिल भारतीय अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य निगरानी अध्ययन है जो विशेष रूप से कार्डियो-मेटाबोलिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है।
- इसमें 17 राज्यों और 24 शहरों से लगभग 10,000 व्यक्ति - मुख्य रूप से सीएसआईआर कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके जीवन-साथी - भाग ले रहे हैं।
- एकत्रित आंकड़ों में नैदानिक प्रश्नावली, जीवनशैली और आहार संबंधी आदतें, मानवशास्त्रीय माप, इमेजिंग और स्कैनिंग डेटा तथा व्यापक जैव रासायनिक और आणविक डेटा शामिल हैं।
- यह अध्ययन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में जातीय विविधता और जीवनशैली पैटर्न किस प्रकार हृदय-चयापचय संबंधी विकारों के जोखिम और घटना को प्रभावित करते हैं।
- इस परियोजना के माध्यम से, सीएसआईआर भारतीय आनुवंशिक और फेनोटाइपिक प्रोफाइल के अनुकूल एक पूर्वानुमानित, वैयक्तिकृत, सहभागी और निवारक (पी4) स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को बढ़ावा दे रहा है।

स्रोत: द हिंदू

हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नया दृष्टिकोण

खबरों में क्यों?

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के शोधकर्ताओं ने उत्प्रेरक सतहों पर प्रोटॉन अवशोषण के संबंध में नई जानकारी विकसित की है, जिससे अधिक कुशल हरित हाइड्रोजन उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा।

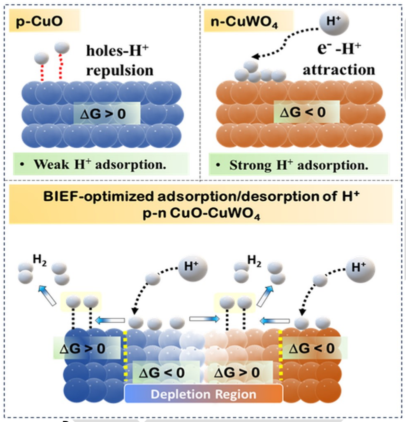

प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष:

- कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड ($CuWO_4$) और कॉपर ऑक्साइड (CuO) को मिलाकर एक नवीन हेटरोस्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन के विकास को बढ़ाने के लिए अंतर्निर्मित विद्युत क्षेत्र (BIEF) प्रभाव का दोहन करना है।
- यह संरचना $CuWO_4$ नैनोकणों को $Cu(OH)_2$ पूर्ववर्ती पर विकसित करके बनाई गई है, जिससे pn हेटेरोजंक्शन बनता है जो एक असममित इलेक्ट्रॉनिक वातावरण बनाता है ।
- यह BIEF प्रोटॉन अधिशोषण और विशोषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सीधे हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया (HER) को प्रभावित करता है

प्रोटॉन अवशोषण की क्रियाविधि

- CuO और $CuWO_4$ के बीच का इंटरफेस गिब्स मुक्त ऊर्जा (ΔG) में भिन्नता दर्शाता है , विशेष रूप से ह्रास क्षेत्र के पास ।
- इस इंटरफ़ेस में ΔG में ढाल CuO पर हाइड्रोजन अधिशोषण और $CuWO_4$ पर विशोषण को बढ़ाता है , जिससे यह प्रणाली HER के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है ।
- यह "नकारात्मक सहकारिता" को प्रदर्शित करता है , जहां एक स्थान पर प्रोटॉन बंधन बढ़ने से अन्य स्थानों पर आत्मीयता कम हो जाती है , जिससे प्रोटॉन विशोषण में सुविधा होती है, जो क्षारीय हाइड्रोजन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण चरण है ।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जिससे कोई ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित नहीं होती हैं ।
- यह एक स्वच्छ, टिकाऊ और लचीला ऊर्जा वाहक है , जिसका एकमात्र उपोत्पाद जलवाष्प है।
- ग्रे हाइड्रोजन (जीवाश्म ईंधन से) के विपरीत , ग्रीन हाइड्रोजन शून्य कार्बन उत्सर्जन में योगदान देता है ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन विधियाँ

- क्षारीय इलेक्ट्रोलिसिस: KOH/NaOH का उपयोग करने वाली परिपक्व, कम लागत वाली विधि; इसमें निकल/प्लैटिनम की आवश्यकता होती है
- प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) इलेक्ट्रोलिसिस: उच्च दक्षता , तेज, लेकिन कीमती धातु उत्प्रेरक के कारण महंगा।
- सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस (एसओईसी): 700-1000 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, H_2O और CO_2 के सह-इलेक्ट्रोलिसिस को सक्षम बनाता है , लेकिन इसमें जटिल सामग्री और उच्च लागत शामिल होती है ।

स्रोत: पीआईबी

स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म:

- इसे आगरा में DRDO के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है।
- एयरशिप को इंस्ट्रूमेंटल पेलोड के साथ लॉन्च किया गया और यह लगभग 17 किमी की ऊंचाई पर पहुंचा।
  - इसकी कुल उड़ान अवधि 62 मिनट थी।
- ऑनबोर्ड सेंसर ने भविष्य की उच्च ऊंचाई वाली एयरशिप उड़ानों के लिए उच्च-निष्ठा सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान किया।
  - उड़ान के दौरान लिफाफा दबाव नियंत्रण और आपातकालीन अपस्फीति प्रणालियों का परीक्षण

किया गया, और आगे की जांच के लिए सिस्टम को पुनः प्राप्त किया गया।

स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का महत्व:

- यह भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे देश दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं।

स्रोत: पीआईबी

इग्ला-एस

खबरों में क्यों?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को हाल ही में रूसी इग्ला-एस वायु रक्षा मिसाइलों की एक नई खेप प्राप्त हुई।

इग्ला-एस के बारे में:

- यह रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) है।
- यह एक हस्त-संचालित रक्षा प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा संचालित किया जा सकता है ।
- इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है तथा यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय भी कर सकता है ।

इग्ला-एस की विशेषताएँ :

- इग्ला-एस सिस्टम में 9एम342 मिसाइल, 9पी522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9वी866-2 मोबाइल टेस्ट स्टेशन और 9एफ719-2 टेस्ट सेट शामिल हैं। ये घटक एक व्यापक वायु रक्षा समाधान प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं।
- केवल 10.8 किलोग्राम (मिसाइल) और 18 किलोग्राम (संपूर्ण प्रणाली) वजन के साथ, यह महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र गतिशीलता प्रदान करता है ।
- इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे उच्च-खतरे वाले क्षेत्रों में मोबाइल ग्राउंड इकाइयों के लिए आदर्श बनाता है।
- यह हवाई लक्ष्यों के ताप संकेतों को लॉक करने के लिए इन्फ्रारेड (आईआर) होमिंग का उपयोग करता है ।
- यह 6 किमी दूर और 3.5 किमी तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।
- मिसाइल की गति 400 मीटर प्रति सेकंड है तथा तैनाती का समय 13 सेकंड है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

स्वास्थ्य एवं रोग

GAVI (वैक्सीन एलायंस)

खबरों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन, गावी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को इस संगठन के लिए महत्वपूर्ण धनराशि बनाए रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, यह तर्क देकर कि दान से अमेरिकी वैक्सीन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

GAVI (वैक्सीन एलायंस) के बारे में:

- यह एक स्वतंत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी है जिसे 2000 में दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और कम उपयोग किए जाने वाले टीकों तक पहुंच में सुधार करने के लिए बनाया गया था।
- जिनेवा, स्विटजरलैंड स्थित गावी (GAVI) का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाना है, ताकि बच्चों के लिए टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके, चाहे वे कहीं भी रहते हों।
- यह विकासशील देशों और दाता सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व बैंक , वैक्सीन उद्योग, अनुसंधान और तकनीकी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और निजी परोपकारियों को एक साथ लाता है।
- गावी की मुख्य गतिविधियों में वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार को आकार देने के प्रयासों के माध्यम से कमजोर बच्चों के लिए नए और कम उपयोग किए गए टीकों तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों की पहुंच का समर्थन करना शामिल है , जैसे कि टीकों की खरीद की लागत को कम करने में मदद करने के लिए निर्माताओं के साथ बातचीत करना ।
- वैश्विक टीकाकरण में प्रमुख हितधारकों को एक मिशन के तहत एक साथ लाकर, गावी विकास समुदाय की तकनीकी विशेषज्ञता को निजी क्षेत्र की व्यावसायिक जानकारी के साथ जोड़ता है।
- अपनी शुरुआत से लेकर अब तक, गावी ने 1.1 बिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है और अनुमानतः 18.8 मिलियन लोगों की जान बचाई है (2023 के आंकड़े)।
- गावी COVAX का नेतृत्व करने वाले संगठनों में से एक था , जो एक बहुपक्षीय प्रयास है जो वैश्विक स्तर पर COVID-19 टीकों के समान विकास, खरीद और वितरण का समर्थन करता है जो 2020 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त होगा।

स्रोत: द प्रिंट

निकट-सतह कतरनी परत (एनएसएसएल)

खबरों में क्यों?

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के वैज्ञानिकों सहित सौर भौतिकविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने सूर्य की निकट-सतही परत (एनएसएसएल) में गतिशील प्लाज्मा धाराओं का मानचित्रण किया है, जिससे ऐसे पैटर्न का पता चला है जो सूर्य की 11-वर्षीय चुंबकीय गतिविधि (सनस्पॉट) चक्र से संबंधित हैं।

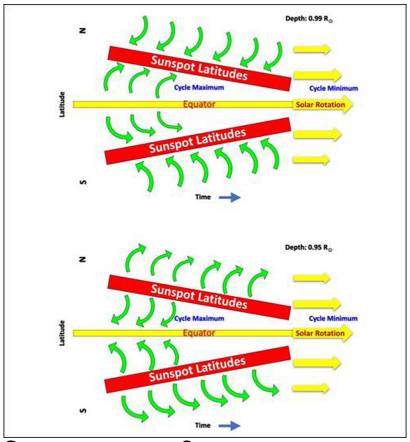

निकट-सतह कतरनी परत (एनएसएसएल) और प्रमुख निष्कर्षों के बारे में

- निकट-सतही अपरूपण परत (एनएसएसएल) सूर्य की दृश्यमान सतह के ठीक नीचे स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है , जो लगभग 35,000 किमी की गहराई तक फैला हुआ है ।
- एनएसएसएल में , सूर्य का कोणीय वेग (घूर्णन गति) त्रिज्या के साथ तेजी से घटता है, जिससे एक घूर्णी कतरनी बनती है जो गहराई, अक्षांश और सौर चुंबकीय गतिविधि के साथ बदलती रहती है ।
- अध्ययन से पता चला कि सतही प्लाज्मा प्रवाह सनस्पॉट अक्षांशों की ओर अभिसरित होता है, लेकिन एनएसएसएल में मध्य में उलट जाता है और बाहर की ओर प्रवाहित होता है , जिससे बड़ी परिसंचरण कोशिकाएं बनती हैं ।
- ये प्रवाह सूर्य के घूर्णन और कोरिओलिस बल द्वारा आकार लेते हैं , जो पृथ्वी के तूफानों को भी प्रभावित करता है। यह संबंध यह समझाने में मदद करता है कि सूर्य का घूर्णन व्यवहार गहराई के साथ कैसे बदलता है।
- गतिशील होने के बावजूद, ये स्थानीयकृत प्रवाह सूर्य के बड़े पैमाने के क्षेत्रीय प्रवाह को संचालित नहीं करते हैं , जिन्हें मरोड़ दोलन के रूप में जाना जाता है , जो सूर्य के आंतरिक भाग में अज्ञात गहन शक्तियों की उपस्थिति को दर्शाता है।

प्रयुक्त तकनीकें

- वैज्ञानिकों ने हेलियोसिस्मोलॉजी का उपयोग किया , जो एक ऐसी विधि है जो सूर्य के अंदर यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करके आंतरिक संरचनाओं और गतिशीलता का मानचित्रण करती है।
- उन्होंने एक दशक से अधिक के डेटा का उपयोग किया:
  - नासा की सौर गतिविज्ञान वेधशाला (एसडीओ) , विशेष रूप से हेलियोसिस्मिक और चुंबकीय इमेजर (एचएमआई) , और
  - राष्ट्रीय सौर वेधशाला (एनएसओ), संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्लोबल ऑसिलेशन नेटवर्क ग्रुप (जीओएनजी) ।
- अनुसंधान ने सूर्यकलंक क्षेत्रों के 3D वेग मानचित्रों का उपयोग करके निष्कर्षों की पुष्टि की , जो सतह के अंतर्वाह और गहरे बहिर्वाह को दर्शाते हैं ।

स्रोत: द हिंदू

वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी (GARDP)

खबरों में क्यों?

ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप (जीएआरडीपी) द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में बहुऔषधि प्रतिरोधी संक्रमणों की एक बड़ी संख्या का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन तक पहुंच में बहुत अधिक अंतर है।

वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी (जीएआरडीपी) के बारे में:

- यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाले दवा प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमणों के लिए नए एंटीबायोटिक उपचार विकसित करता है और उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है ।
- यह एंटीबायोटिक दवा विकास के केन्द्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को रखता है, ताकि तात्कालिक रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) संकट का समाधान किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लोगों को आवश्यक एंटीबायोटिक्स उपलब्ध होते रहें।
- जीएआरडीपी की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीजेज इनिशिएटिव (डीएनडीआई) द्वारा एएमआर पर वैश्विक कार्य योजना (2015) को क्रियान्वित करने के लिए की गई थी, जो नवीन एंटीबायोटिक उपचार विकसित करने के लिए नई पहल की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- 2018 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक स्वतंत्र फाउंडेशन के रूप में कानूनी रूप से स्थापित , GARDP एंटीबायोटिक अनुसंधान, विकास और पहुंच की तत्काल आवश्यकता को पूरा करता है।
  - यह नए एंटीबायोटिक्स के विकास और वैश्विक उपलब्धता में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारों को एक साथ लाता है ।

स्रोत: द हिंदू

डाइ-2-एथिलहेक्सिल फथलेट (डीईएचपी)

खबरों में क्यों?

द लैंसेट ईबायोमेडिसिन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में डाई-2-एथिलहेक्सिल थैलेट (डीईएचपी) के संपर्क और हृदय संबंधी मृत्यु दर में वृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया, विशेष रूप से 55-64 आयु वर्ग में।

डाइ-2-एथिलहेक्सिल फथलेट (डीईएचपी) के बारे में

- डाई-2-एथिलहेक्सिल फथलेट (डीईएचपी) एक सिंथेटिक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिसाइज़र के रूप में किया जाता है , जिसका अर्थ है कि इसे प्लास्टिक को अधिक लचीला, टिकाऊ और टूटने के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है ।

- डीईएचपी एक रंगहीन, तैलीय तरल है जिसमें बहुत कम या कोई गंध नहीं होती है , और यह तेलों में घुलनशील है लेकिन पानी में नहीं । इसका व्यापक रूप से पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग किया जाता है ।
- डीईएचपी के वैकल्पिक नामों में डायोक्टाइल फथलेट (डीओपी) और बिस (2-एथिलहेक्सिल) फथलेट (बीईएचपी) शामिल हैं , जो अक्सर औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों में पाए जाते हैं।
- डीईएचपी रोजमर्रा की वस्तुओं में व्याप्त है, जैसे खाद्य पैकेजिंग सामग्री , चिकित्सा उपकरण (जैसे IV ट्यूब), खिलौने, शैंपू, लोशन और विनाइल फर्श, जिससे मानव संपर्क व्यापक और निरंतर बना रहता है।
- 2018 में, डीईएचपी के संपर्क में आने से उस आयु समूह में लगभग 356,238 वैश्विक मौतें हुईं, जो 55-64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए वैश्विक हृदय संबंधी मौतों का 13% से अधिक हिस्सा था।
- विश्व स्तर पर डीईएचपी से संबंधित हृदय संबंधी मौतों की सबसे अधिक संख्या भारत में है , जहां अनुमानित 103,587 मौतें हुई हैं, जो वैश्विक बोझ का लगभग एक तिहाई है।
- डीईएचपी कोरोनरी धमनियों में सूजन पैदा करने के लिए जाना जाता है , जिससे समय के साथ दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
- हृदय संबंधी समस्याओं के अलावा, डीईएचपी के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं , जिनमें शामिल हैं:
    - मोटापा और टाइप 2 मधुमेह
    - हार्मोनल व्यवधान और बांझपन
    - कुछ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है
    - शिशुओं में समय से पहले जन्म और विकास संबंधी विकार
- वैश्विक स्तर पर डीईएचपी से संबंधित लगभग 75% मौतें एशिया, मध्य पूर्व और प्रशांत जैसे क्षेत्रों में हुईं , जिससे विकासशील देशों पर पड़ने वाले असमानुपातिक बोझ का पता चलता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

भारतीय कफ सिरप को लेकर सुरक्षा चिंताएँ

प्रसंग:

हाल ही में कुछ भारतीय बच्चों के लिए बनाए गए कफ सिरप में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम सामने आए हैं। यह मामला न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का कारण बना है, विशेष रूप से तब जब ये सिरप अन्य देशों को भी निर्यात किए जाते हैं।

मुद्दे का सार:

- **फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs):**
  इन सिरपों में दो या अधिक सक्रिय दवाओं का स्थिर अनुपात होता है, जिन्हें अक्सर छोटे बच्चों पर संयुक्त रूप से जांचे बिना ही दिया जाता है।
- **लक्षित समूह:**
  ये सिरप विशेष रूप से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं, जो प्रतिकूल दवा प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

हानिकारक तत्व:

- क्लोरफेनिरामिन मालेएट (एंटीहिस्टामीन)
- फिनाइलएफ्रिन (डीकंजेस्टेंट)
  ये तत्व श्वसन संकट, उनींदापन, अनियमित हृदय गति और कभी-कभी अचानक मृत्यु का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से नवजात और शिशुओं में।
- **अनियंत्रित बिक्री:**
  ये सिरप बिना पर्ची के आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें से कई दवा दुकानों में प्रशिक्षित कर्मी नहीं होते, जो 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन है।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव:**
  ये सिरप भारत से निर्यात किए जाने वाले दवाओं का हिस्सा हैं। अतीत में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों पर भारतीय सिरप से बच्चों की मौतें जुड़ी थीं, जिससे भारत की फार्मा छवि पर असर पड़ा है।
- **हालिया सरकारी कार्रवाई:**
  15 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने इन हानिकारक FDC सिरपों के निर्माण पर रोक लगाई।
  हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले से बने स्टॉक की बिक्री की अनुमति दे दी, जिससे प्रवर्तन और सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।

आगे का रास्ता:

- **अभिभावकों की सतर्कता:**
  लेबल पढ़ें, सामग्री की जांच करें।
  हानिकारक FDC से बचें, सुरक्षित विकल्प चुनें जैसे:
    - सिट्रीज़ीन (एलर्जी से जुड़ी खांसी के लिए)
    - फेक्सोफेनेडाइन (नॉन-सेडेटिंग एंटीहिस्टामीन)
- **जनजागरूकता:**
  काउंटर सिरप के जोखिमों पर राष्ट्रीय अभियान चलाएं।
  घरेलू उपायों जैसे गरम पानी, शहद आदि के सुरक्षित विकल्पों का प्रचार करें।
- **नियामक सुधार:**
  कानूनी खामियों को बंद करें।
  हानिकारक संयोजन पर सख्त प्रतिबंध लागू करें।
  फार्मेसी स्टाफ का उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
- **ढाँचा और जनशक्ति:**
  अधिक योग्य दवा निरीक्षकों की नियुक्ति हो।
  मौजूदा स्टाफ को दवा सुरक्षा पर प्रशिक्षित किया जाए।
- **सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा:**
  वैज्ञानिक प्रमाणित घरेलू उपाय अपनाने की सलाह दें।
  बिना डॉक्टर परामर्श के बच्चों को कोई दवा न दें।

निष्कर्ष:

भारत में असुरक्षित बाल चिकित्सा कफ सिरप की समस्या, फार्मा नियमन की बड़ी खामियों को उजागर करती है। सरकार की हालिया कार्रवाई सकारात्मक संकेत है, लेकिन संरचनात्मक और जागरूकता आधारित उपायों की ज़रूरत है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भारत की वैश्विक फार्मा साख बनी रहे।

RACE IAS

जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याएँ

वीरशैव-लिंगायत

खबरों में क्यों?

वीरशैव-लिंगायत 2026 में शुरू होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में समुदाय के लिए एक अलग धर्म कोड की मांग करने वाले हैं।

वीरशैव-लिंगायत के बारे में:

- लिंगायत को "वीरशैव लिंगायत" नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उन्हें शैव माना जाता है।
- वीरशैव-लिंगायत उत्तर और मध्य कर्नाटक में प्रमुख भूमि-स्वामी समुदाय हैं।
  - वे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फैले हुए हैं।
- उत्पत्ति: लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना के अनुयायी हैं, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे।
  - राजा बिज्जला द्वितीय के दरबार में कोषाध्यक्ष, बसवन्ना ने ब्राह्मण अनुष्ठानों और मंदिर पूजा को अस्वीकार कर दिया और एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो जातिविहीन और भेदभाव से मुक्त हो।
- आध्यात्मिक पहचान: लिंगायत शब्द इष्टलिंगा पहनने की प्रथा से आया है, जो परशिव (पूर्ण वास्तविकता) का प्रतीक एक अंडाकार आकार का प्रतीक है।

स्रोत: द हिंदू

योजना

AIM4NatuRe पहल

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नई पहल, प्रकृति पुनरुद्धार के लिए अभिनव निगरानी में तेजी (एआईएम4नेचुर) शुरू की है।

AIM4NatuRe पहल के बारे में:

- यह खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए देशों की क्षमता को बढ़ाना है।
- यह 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम है, जिसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा वित्तपोषित किया गया है , जिसमें 7 मिलियन GBP का योगदान है, और यह 2025 से 2028 तक चलेगा।
- AIM4 NatuRe, वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (GBF) के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत क्षीण पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, मानकीकृत डेटा रूपरेखा और क्षमता विकास का लाभ उठाएगा।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देकर, यह पहल देशों को वनों, आर्द्रभूमि, घास के मैदानों, समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों और कृषि परिदृश्यों में पुनर्स्थापन प्रयासों पर नज़र रखने में सक्षम बनाएगी ।
- AIM4NatuRe , FAO के AIM4Forests कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रकृति की पुनर्स्थापना की निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे इसके दायरे का विस्तार करता है।
- यह पहल पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती है, जिसमें क्षरित कृषि भूमि की बहाली, आर्द्रभूमि पुनर्वास से लेकर घास के मैदानों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली तक की व्यापक गतिविधियां शामिल हैं ।
- AIM4NatuRe व्यावहारिक मार्गदर्शन दस्तावेज और तकनीकी समाधान भी विकसित करेगा, अर्थात् पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना निगरानी के लिए रूपरेखा (FERM), ताकि डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में देशों को सहायता दी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानकारी आसानी से उपलब्ध और प्रयोग योग्य हो।
  - विशेष रूप से, यह पहल जैव-केन्द्रित प्रकृति पुनर्स्थापन की निगरानी में स्वदेशी लोगों को सहायता प्रदान करेगी, जो एक समग्र दृष्टिकोण है जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सभी जीवित चीजों की भलाई को प्राथमिकता देता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

विविध

विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2024 में रुझान

खबरों में क्यों?

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की "विश्व सैन्य व्यय की प्रवृत्तियाँ" रिपोर्ट के 2024 संस्करण के अनुसार, भारत का सैन्य खर्च पिछले वर्ष पाकिस्तान की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक था।

विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट के रुझान के बारे में:

- यह प्रमुख स्वीडिश थिंक टैंक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है।
- यह विश्व भर में सैन्य खर्च का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।

2024 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- वैश्विक रक्षा व्यय 2024 में 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया , जो पिछले वर्ष के 2.24 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जिससे औसत रक्षा व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 9% हो गया, जो 2022 में 1.6% और 2023 में 1.8% था।
- विश्व के सभी क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व में तीव्र वृद्धि हुई, जिसका कारण यूक्रेन-रूस युद्ध और इजरायल-हमास संघर्ष है।
- यूरोप (रूस सहित) में सैन्य खर्च 17 प्रतिशत बढ़कर 693 बिलियन डॉलर हो गया और 2024 में वैश्विक वृद्धि में इसका मुख्य योगदान होगा।
- अमेरिका का सैन्य खर्च 5.7 प्रतिशत बढ़कर 997 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया , जो कि 2024 में कुल नाटो खर्च का 66 प्रतिशत और विश्व सैन्य खर्च का 37 प्रतिशत था।
- मध्य पूर्व में सैन्य व्यय 2024 में अनुमानतः 243 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 2023 से 15 प्रतिशत अधिक है, तथा इस क्षेत्र में इजरायल और लेबनान सबसे अधिक खर्च करने वाले देश बनेंगे।
- विश्व के सैन्य खर्च का 60 प्रतिशत केवल पांच देशों - अमेरिका (37 प्रतिशत), चीन (12 प्रतिशत), रूस (5.5 प्रतिशत), जर्मनी (3.3 प्रतिशत) और भारत (3.2 प्रतिशत) से आया ।
- 2024 में दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश भारत ने अपना खर्च बढ़ाकर 86.1 अरब डॉलर कर दिया है , जो 2023 से 1.6 प्रतिशत और 2024 से 42 प्रतिशत अधिक है।
- 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के मुकाबले लगभग नौ गुना होगा
- चीन का सैन्य खर्च 7.0 प्रतिशत बढ़कर 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो तीन दशकों की निर्बाध वृद्धि को दर्शाता है। एशिया और ओशिनिया में रक्षा खर्च का आधा हिस्सा अकेले चीन का है ।

स्रोत: द हिंदू

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए)

खबरों में क्यों?

आईईपीएफए ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा पूरे भारत में डिजिटल निवेशक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 'निवेशक शिविर' पहल की शुरुआत की है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के बारे में

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की स्थापना 2016 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी।
- यह निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) का प्रबंधन करता है तथा निवेशक जागरूकता एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- नोडल मंत्रालय : कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- आईईपीएफ में 7 वर्षों तक दावा न की गई राशि शामिल होती है , जिसमें शामिल हैं:
  - अवैतनिक लाभांश,
  - आवेदन राशि वापसी हेतु देय है,
  - परिपक्व जमा और डिबेंचर,
  - फंड से निवेश पर ब्याज,
  - सरकार या अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान या दान ।

IEPFA की 'निवेशक शिविर' पहल

- 'निवेशक शिविर' आईईपीएफए और सेबी की एक संयुक्त पहल है, जिसे दावा न किए गए लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया है ।
- शिविरों में बड़ी संख्या में दावा न किए गए लाभांश धारकों वाले शहरों में कंपनियों और आरटीए द्वारा स्थापित वन-स्टॉप कियोस्क की सुविधा होगी, जिसकी शुरुआत मई 2025 में मुंबई और अहमदाबाद से होगी ।
- निवेशक इन शिविरों में केवाईसी और नामांकन को अपडेट कर सकते हैं, दावे की स्थिति सत्यापित कर सकते हैं और वास्तविक समय पर शिकायत निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य बिचौलियों पर निवेशकों की निर्भरता को कम करना है , जिससे धोखाधड़ी और गलत सूचना के जोखिम को कम किया जा सके ।
- पूर्व-पंजीकरण के लिए क्यूआर -कोड आधारित गूगल फॉर्म का उपयोग किया जाएगा , जिसे आईसीएआई और सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का समर्थन प्राप्त होगा ।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में मुख्य तथ्य:

RACE IAS

- कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से एक है, जो 2,000 से अधिक शाखाओं और 3,000 एटीएम के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लाखों ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, और अभिनव बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करता है।

स्रोत: पीआईबी

विशेष 301 रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

भारत को एक बार फिर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय की बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विशेष 301 रिपोर्ट की 'प्राथमिकता निगरानी' सूची में रखा गया है।

विशेष 301 रिपोर्ट के बारे में:

- यह 1974 के व्यापार अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की वार्षिक रिपोर्ट है।
- इसमें उन देशों की पहचान की गई है , जिनके बारे में अमेरिका का मानना है कि वे बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं , या अमेरिका के आईपी अधिकार धारकों को उचित और न्यायसंगत बाजार पहुंच प्रदान नहीं करते हैं।
- यह रिपोर्ट 1989 से हर वर्ष जारी की जाती है।
- यह देशों को "प्राथमिकता वाले विदेशी देश", "प्राथमिकता वाले निगरानी देश" और "निगरानी सूची वाले देश" के रूप में नामित करता है।
- प्राथमिकता वाले विदेशी देश के रूप में नामित करने से जांच शुरू हो जाती है और विदेशी देश पर प्रतिबंधों का संभावित अनुप्रयोग हो जाता है , जबकि प्राथमिकता निगरानी सूची में नामित करने से गंभीर बौद्धिक संपदा अधिकारों की कमियों का संकेत मिलता है, जिस पर अमेरिका को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
- अन्य देश , जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की गंभीर कमी मानी जाती है, लेकिन जिन पर अमेरिका का अधिक ध्यान नहीं जाता, उन्हें निगरानी सूची में डाल दिया जाता है।
- रिपोर्ट में विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं।

स्रोत: द हिंदू

शिक्षा-रोजगार असंतुलन: भारत का बढ़ता संकट

प्रसंग:

भारत एक खतरनाक disconnect से जूझ रहा है। लाखों स्नातक बेरोजगार या अर्धरोजगार हैं, जबकि उनके पास औपचारिक शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से प्रणाली में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ती चिंताएं यह दर्शाती हैं कि डिग्रियों और नौकरी की तैयारी के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है।

NEP 2020 के बारे में:

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति और शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में बनाई गई है। यह 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है, जो 1986 की पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) का स्थान लेती है।

NEP 2020 के तहत सुधार:

- 5+3+3+4 की अकादमिक संरचना।
- विद्यालय स्तर से व्यावसायिक शिक्षा का समावेश।
- आलोचनात्मक सोच, कोडिंग और बहुभाषिता पर जोर।
- अकादमिक क्रेडिट बैंक के माध्यम से लचीली उच्च शिक्षा।
- राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य।
- शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करना।
- कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में पढ़ाई को बढ़ावा।
- मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और PARAKH केंद्र की स्थापना।

नीति की खामियाँ और संस्थागत बाधाएँ:

- आलोचक कहते हैं कि NEP आदर्शवादी है लेकिन उसके क्रियान्वयन की स्पष्टता नहीं है — इसे अक्सर "पानी में मरी मछली" कहा गया है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों को पारंपरिक विषयों के मुकाबले नजरअंदाज किया गया है।
- लचीली पाठ्यक्रम संरचना के कारण शिक्षा पूरी करने में देरी होती है, जिससे कमजोर नौकरियों में धकेले जाने का डर है।
- UGC का केंद्रीकृत नियंत्रण संस्थागत स्वतंत्रता को सीमित करता है।
- उद्योग की भागीदारी नीति निर्माण के समय बहुत कम रही, जिससे NEP की वास्तविक रोजगार बाजार से प्रासंगिकता कमजोर हुई।

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति:

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसी वैश्विक सूचियों में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है।
- छात्र संख्या में भारत शीर्ष G20 देशों में शामिल है, लेकिन अनुसंधान प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रदर्शन कमजोर है।
- भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र अभी भी सेवा आधारित मॉडल (जैसे ई-कॉमर्स, डिलीवरी) पर निर्भर है, जबकि उच्च-तकनीकी क्षेत्रों (जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी) में प्रगति धीमी है।
- "ब्रेन ड्रेन" जारी है क्योंकि देश में अनुसंधान करियर आकर्षक नहीं हैं — कम फंडिंग, कमजोर बुनियादी ढांचा और सीमित प्रोत्साहन।

मूल सुधार की आवश्यकता:

- UGC को विकेंद्रीकृत और नवाचार-उन्मुख निकाय के रूप में पुनर्गठित करें जो संस्थागत स्वतंत्रता को बढ़ावा दे।
- उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच औपचारिक साझेदारी स्थापित की जाए जिससे व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार हों।
- AI, ब्लॉकचेन, सस्टेनेबिलिटी जैसे डिजिटल और उभरती तकनीकों को स्कूल-कॉलेज स्तर पर शामिल करना अनिवार्य हो।
- सरकार द्वारा समर्थित अनुसंधान अनुदान और उद्यमिता फैलोशिप के ज़रिए प्रतिभाओं को देश में रोके रखें।
- परिणाम आधारित ऑडिट और राज्य स्तरीय स्कोरकार्ड के माध्यम से NEP के क्रियान्वयन की निगरानी।

- स्थानीय विकास से जुड़ी नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा-तकनीक केंद्र स्थापित करें।

निष्कर्ष:

भारत की युवा शक्ति तभी लाभकारी होगी जब उन्हें सही कौशल और अवसर मिलें। NEP एक विज़न प्रस्तुत करती है, लेकिन जब तक साहसी संरचनात्मक सुधार और ईमानदार कार्यान्वयन नहीं होगा, भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। शिक्षा को डिग्री प्रदान करने वाली मशीन नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और राष्ट्रीय विकास की प्रेरक शक्ति बनाना होगा।

भारत में वीरता पुरस्कार

प्रसंग

भारत के वीरता पुरस्कार सैन्यकर्मियों और कभी-कभी नागरिकों द्वारा दिखाए गए असाधारण साहस और पराक्रम को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत बहादुरी का सम्मान करते हैं, बल्कि देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को भी प्रेरित करते हैं। ये पुरस्कार युद्धकालीन और शांतिकालीन संदर्भ के आधार पर वर्गीकृत होते हैं और उनका एक पदानुक्रम होता है।

तालिका 1: युद्धकालीन वीरता पुरस्कार (पदानुक्रम में)

पुरस्कार नाम	पदानुक्रम	उद्देश्य	पात्रता/टिप्पणियाँ
परम वीर चक्र (PVC)	1	युद्ध में असाधारण बहादुरी या आत्मबलिदान के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार।	बहुत कम प्राप्तकर्ता, अक्सर मरणोपरांत। दुश्मन का सामना अनिवार्य।
महा वीर चक्र (MVC)	2	युद्ध में दुश्मन के साथ संघर्ष में असाधारण वीरता के कार्य।	PVC से कम परन्तु अत्यंत प्रतिष्ठित।
वीर चक्र	3	युद्धभूमि में साहसिक कृत्य।	MVC से सामान्यतः कम लेकिन महत्वपूर्ण।

तालिका 2: शांतिकालीन वीरता पुरस्कार (पदानुक्रम में)

पुरस्कार नाम	पदानुक्रम	उद्देश्य	पात्रता/टिप्पणियाँ
अशोक चक्र	1	शांतिकालीन बहादुरी, साहस या आत्मबलिदान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार।	दुश्मन का सामना नहीं होता, परंतु जीवन-खतरे वाले कार्य।
कीर्ति चक्र	2	गैर-युद्ध स्थितियों में उल्लेखनीय वीरता की मान्यता।	आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी या बचाव कार्यों में।
शौर्य चक्र	3	शांतिकालीन परिस्थितियों में बहादुरी।	आतंकवाद-विरोधी अभियान, नागरिक बहादुरी के कार्य।

तालिका 3: वीरता पुरस्कारों का ऐतिहासिक क्रम

- 1950 (26 जनवरी): PVC, MVC, और वीर चक्र 15 अगस्त 1947 से पीछे की तारीख से लागू।
- 1952: शांतिकालीन पुरस्कार शुरू, अशोक चक्र कक्षा I, II, III के रूप में।
- 1967 (जनवरी): नामकरण संशोधन — अशोक चक्र कक्षा I → अशोक चक्र, II → कीर्ति चक्र, III → शौर्य चक्र।

तालिका 4: वीरता पुरस्कारों की पात्रता

पात्र संस्थाएँ	मान्यता का क्षेत्र
भारतीय सशस्त्र बल (सेना, नौसेना, वायुसेना)	युद्ध और शांतिकालीन परिस्थितियों में बहादुरी।
टेरिटोरियल आर्मी, अर्धसैनिक बल	विशेषकर आंतरिक सुरक्षा और सीमा अभियानों में।
नागरिक और पुलिस (विशेष मामलों में)	विशेष तौर पर अशोक, कीर्ति, या शौर्य चक्र के लिए।

तालिका 5: अन्य सेवा-विशिष्ट वीरता पदक

पदक	सेवा शाखा	उद्देश्य
सेना पदक (Sena Medal)	भारतीय सेना	शांति और युद्ध दोनों में असाधारण कर्तव्य निष्ठा या साहस।
नौ सेना पदक (Nau Sena Medal)	भारतीय नौसेना	समुद्र में बहादुरी या सेवा; शांति और युद्ध दोनों में।
वायु सेना पदक (Vayu Sena Medal)	भारतीय वायु सेना	हवाई अभियानों में साहस या सेवा, गैर-युद्ध भूमिकाओं में।

टिप्पणी: ये पदक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों में प्रदान किए जाते हैं।

निष्कर्ष

भारत के वीरता पुरस्कार बहादुरी, निःस्वार्थता और कर्तव्य की सर्वोच्च मिसाल हैं। ये न केवल प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस के मानक स्थापित करते हैं। इनके इतिहास, संरचना और महत्व को समझना भारत की सैन्य और नागरिक बहादुरी की भावना को समझने के लिए आवश्यक है।

तमिलनाडु अंतरिक्ष क्षेत्र नीति

संदर्भ:

मई 2024 में, तमिलनाडु कर्नाटक और गुजरात के बाद **अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति** अपनाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। यह कदम **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023** के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए राज्य स्तर पर नवाचार और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

समाचार के बारे में:

- तमिलनाडु ने **स्टेट स्पेस सेक्टर पॉलिसी 2024** शुरू की।

- यह कर्नाटक और गुजरात के बाद तीसरा राज्य है जिसने अंतरिक्ष नीति अपनाई है।
- नीति भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और IN-SPACe के उद्देश्यों का समर्थन करती है।
- इसका लक्ष्य 5 वर्षों में **₹4,000 करोड़ का निवेश** आकर्षित करना है।
- लगभग **10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां** सृजित करने की योजना है।

विशेषताएँ / प्रावधान:

- अंतरिक्ष तकनीकों में **स्थानीय निर्माण और अनुसंधान एवं विकास (R&D)** को प्रोत्साहन।
- **स्टार्टअप्स और MSMEs** को अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में समर्थन।
- ग्राउंड स्टेशन और लॉन्च सुविधाओं के विकास के लिए नीति समर्थन।
- ISRO से जुड़े तमिलनाडु के **मौजूदा वेंडर बेस** का लाभ उठाना।
- **महेंद्रगिरी प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स** में ISRO की उपस्थिति को उजागर किया गया।
- **कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट** परियोजना के साथ समन्वय को बढ़ावा।

चुनौतियाँ:

- **नियामक अनिश्चितता**: राज्यों को केंद्रीय अंतरिक्ष नीति मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।
  उदाहरण: IN-SPACe और राज्य स्तरीय मंजूरी के बीच ओवरलैप से परियोजनाएं विलंबित हो सकती हैं।
- **बुनियादी ढांचे की कमी**: अंतरिक्ष-विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों का अभाव।
  उदाहरण: दक्षिणी जिलों में कोई स्थापित स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है।
- **कुशल कार्यबल की सीमाएं**: डोमेन-विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता।
  उदाहरण: क्षेत्र के कुछ ही विश्वविद्यालयों में एयरोस्पेस विशेषताएं उपलब्ध हैं।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी**: शुरुआती स्टार्टअप्स को तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता।
  उदाहरण: टियर-2 शहरों में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन अभी भी कमजोर है।

आगे की राह:

- **कॉमन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन सुविधाओं** के साथ स्पेस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास।
  उदाहरण: सलेम या कोयंबटूर के पास स्पेसटेक हब उपग्रह असेंबली को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्पेस-फोकस्ड पाठ्यक्रम** शुरू करना।
  उदाहरण: लॉन्च और उपग्रह तकनीक पर ISRO के साथ साझेदारी करें।
- **मेंटोरशिप और बीज फंडिंग** के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करें।
  उदाहरण: राज्य स्टार्टअप मिशन के तहत स्पेसटेक इन्क्यूबेटर स्थापित करें।
- **R&D और अनुप्रयोगों में सार्वजनिक-निजी सहयोग को सुविधाजनक बनाएं।**
  उदाहरण: अंतरिक्ष आधारित सटीक कृषि और आपदा निगरानी के लिए संयुक्त परियोजनाएं।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु की अंतरिक्ष क्षेत्र नीति **अंतरिक्ष-आधारित विकास की दिशा में एक रणनीतिक परिवर्तन** को दर्शाती है, जो राज्य को **एयरोस्पेस नवाचार, निर्माण और अनुप्रयोगों के लिए एक संभावित क्षेत्रीय केंद्र** के रूप में स्थापित कर सकती है। यदि प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया, तो यह नीति **रोजगार, निवेश और प्रौद्योगिकी** को विभिन्न क्षेत्रों—जैसे **कृषि, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन**—में बढ़ावा दे सकती है।

RACE IAS

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न

1. वामपंथी उग्रवाद को परिभाषित करें। भारत में वामपंथी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है?

2. ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? समझाइए कि ब्लॉकचेन किस तरह सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा सकती है।

3. भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता में नीली अर्थव्यवस्था के महत्व पर चर्चा करें।

4. भारत में वित्तीय समावेशन और ग्रामीण उद्यमिता में माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं किस प्रकार योगदान देती हैं?

5. भारत की तकनीकी और आर्थिक सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता क्यों महत्वपूर्ण है?

6. उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालकों की जांच करें और इसकी अर्थव्यवस्था को आकार देने में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की भूमिका का विश्लेषण करें।

7. तटीय सुरक्षा को परिभाषित करें। 26/11 मुंबई हमलों के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें।

8. साइबर सुरक्षा और एन्क्रिप्शन सिस्टम पर क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

9. भारत के हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के आर्थिक और पर्यावरणीय निहितार्थों पर चर्चा करें।.

10. विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी और RBI की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के आर्थिक निहितार्थों की तुलना करें और उनमें अंतर करें।

खण्ड – ब/Section – B

11. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर खतरों की चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें।

12. विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

13. 5G को अपनाने से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

14. AI-संचालित स्वचालन भारत में रोजगार और आर्थिक उत्पादकता को कैसे नया रूप देगा? प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की जाँच करें।

15. हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा की व्याख्या करें। मूल्यांकन करें कि हाइब्रिड खतरे भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों को कैसे नया रूप दे रहे हैं और इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।

16. चर्चा करें कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर अपने संक्रमण के साथ आर्थिक विकास को कैसे संतुलित कर सकता है।

17. भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या करें।

18. संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय मिलिशिया और ग्राम रक्षा समितियों की भूमिका की जाँच करें। उनकी प्रभावशीलता और शासन और मानवाधिकारों के लिए उनके द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करें।

19. भारत की राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के वित्तीय निहितार्थों का विश्लेषण करें। सरकारी वित्तपोषण, निजी क्षेत्र का निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत में हाइड्रोजन उत्पादन और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकते हैं।

20. सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास साइबर खतरों, ऊर्जा निर्भरता और रणनीतिक कमजोरियों जैसी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे मजबूत कर सकता है? आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें।